षष्ठम अध्याय

शोध निष्कर्ष, समस्याएँ एवं सुझाव

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन के विकास हेतु महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबर के नेतृत्व के अवसर प्रदान कर राज्य एवं समाज का सम्पूर्ण विकास किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इक्कीसवीं शताब्दी, जो महिला सशक्तिकरण एवं सबलीकरण की सदी कहीं जाती है में महिला नेतृत्व की सक्रिय भूमिका महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाओं की नेतृत्वकृत्री के रूप में सक्रिय भूमिका हो, ताकि सुशासन के उद्देश्य पूर्ति हो, इसके प्रयास भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से ही किये जा रहे हैं। जैसाकि स्वतंत्रता की बेला पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि यदि परिवार समाज एवं राष्ट्र को जागृत करना है, तो महिलाओं को जागृत करो। एक बार महिलाएँ आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार, गाँव, शहर तथा राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसी धारणा को बल प्रदान करने के लिए तथा महिला नेतृत्व को सुनिश्चित करने हेतु राजनीति एवं सुशासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक मानी गई है।

सुशासन का एक आयाम सूचना का अधिकार भी है, सुशासन को चाहे भिन्न रूपों में वर्णित किया गया हो किन्तु इसका मूल मतव्य एक ऐसा शासन है, जो सहभागी, पारदर्शी एवं जवाबदेह हो। यह ने केवल विधि के शासन की स्थापना करता है वरन् ऐसी सक्रिय व्यवस्था स्थापित करने पर बल देता है, जिससे राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकताएँ व्यवस्था के अन्तिम पायदान अर्थात् पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर ग्राम सभा पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुँचाये। चूँकि पंचायती राज संस्थायें आम लोगों की शासन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए शासन को विकेन्द्रित करने की दिशा में विकसित हुआ प्रयास है। अतः पंचायती राज संस्थायें ग्रामीणों को ग्राम नियोजन प्रक्रियाओं में भागीदारी करने,

सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल होने को व्यवहारिक अवसर प्रदान करती है। हालांकि पंचायती राज संस्थायें लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं रही है। खराब प्रतिनिधित्व, क्षेत्र के निवासियों के लिए निर्णयों में सहभागी नहीं होना, निर्णयों को लागू करने में देरी और असफलता के साथ–साथ धनराशियों में हेराफेरी और बढ़ते भ्रष्टाचार और अनियमितता के कारण बहुत सी पंचायती राज संस्थाओं की आलोचना की गई है। इस दिशा में सूचना का अधिकार यह तय करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थायें भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को स्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब और अधिक सार्थक होगी, जब लोगों को पूरी एवं सत्य जानकारी उपलब्ध होगी और जनता जानकारी के आधार पर निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भागीदारी करेंगे। अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण सुशासन के विकास के कार्यों में जनसहयोग, पंचायती राज संस्थाओं को स्वालम्बी, कार्यकुशल, क्षमतावान बनाये रखने के लिए मार्गदर्शी एवं प्रोत्साहनकारी, प्रशासन पर नियंत्रण बनाये रखने, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप योजना निर्माण तथा उसका निष्पादन तथा प्रभावकारी संचालन आदि के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक एवं अनिवार्य यंत्र के समान है। यह अधिकार जागरूक नागरिक हेतु अधिकार नहीं बल्कि कर्त्तव्य हैं। गाँधीजी ने ग्रामीण सुशासन के विकास की जो परिकल्पना बनाई थी, वह एक आदर्श और समग्र विकास की परिकल्पना थी। गाँव के विकास के लिए ग्राम स्वराज्य को वे आवश्यक एवं अनिवार्य मानते थे। विशाल भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ विकेन्द्रीकरण की पक्षधर रही हैं, जो क्षेत्रीय एवं आंचलिक विकास की भावना से ओतप्रोत कहीं जा सकती हैं। इसी क्रम में सुशासन की पूर्ति पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व से ही सम्भव है। यह विचार 'ग्रास रूट्' डेमोक्रेसी पर आधारित है, जिसमें माना जाता है कि लोकतंत्र की आधारशिला छोटे समुदायों पर रखी जानी चाहिए। जब तूफान तथा आँधी का

प्रकोप आता है तो अनेक बड़े वृक्ष धराशाही हो जाते हैं जबकि नीचे की हरी भरी घास लहराती रहती है। अतः ग्रामीण व्यवस्था उस घास के समान है जो न केवल वट वृक्ष को आधार देती है वरन् खुशहाली की हरियाली भी बरकरार रखती है।

स्वाधीनता प्राप्ति पश्चात् देश में सुशासन के विकास के लिए देश की नियोजित विकास की योजनाओं में ग्राम ईकाई को सर्वोपरी माना गया। सुशासन के विकास के लिए महिला नेतृत्व एक सुदढ़ अभिकरण है। गाँव में साफ–सफाई, शुद्ध जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, घाट सड़क व पुलों का निर्माण एवं मरम्मत, असहाय निराश्रितों की सहायता, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण और महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम आदि ग्राम पंचायतों को मुख्य कार्य मानकर दिये गये हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तहत ग्राम पंचायतों के 50 प्रतिशत पदों पर महिला नेतृत्वकृत्रियाँ नियुक्त हैं, जिससे ग्रामीणों के जनजीवन में सुधार लाने के सुनहरे अवसर प्राप्त हुए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि वानिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, कुटीर उद्योग, शिशु कल्याण, खेलूकूद, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और मेलों की व्यवस्था भी पंचायतों के अन्तर्गत है। सुशासन के विकास को हमें ग्रामीणों की सर्वांगीण उन्नति के दृष्टिकोण से आंकना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र जीवन में सुधार सुशासन के उद्देश्य की पूर्ति का लक्ष्य है, सरकार के लिए ग्रामीण अवसंरचना एक उच्च प्राथमिकता का क्षेत्रफल रहा है।

प्रस्तुत अध्याय में शोध निष्कर्ष एवं समग्र मूल्यांकन करते हुए सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक अध्याय के निष्कर्ष निकाले गये हैं तदुपरान्त शोधार्थी द्वारा स्वयं के अवलोकन अनुसंधान द्वारा समग्र निष्कर्ष एवं मूल्यांकन किया हैं।

शोध निष्कर्ष

अध्याय प्रथम :– परिचयात्मक

प्रथम अध्याय अध्ययन के परिचयात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। इसमें शोध विषय का परिचय, तर्काधार (प्रासंगिकता) पंचायती राजव्यवस्था तथा सूचना का अधिकार, नेतृत्व एवं सुशासन का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है, इसके साथ ही अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था, नेतृत्व, सुशासन एवं सूचना के अधिकार से सम्बन्धित साहित्यों का पुनरावलोकन, अध्ययन का महत्त्व, अध्ययन के उद्देश्य, प्राकल्पनाएँ, अध्ययन हेतु अनुसंधान प्रविधि, अध्ययन का स्त्रोत, तथ्य संकलन विधि, अध्ययन के चर, प्रस्तावित अध्याय योजना, अध्ययन की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इस प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के युग में सुशासन के विकास के लिए नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सुशासन की अवधारणा का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

अध्याय द्वितीय :– अवधारणात्मक विवेचन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में शोध विषय 'ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व एवं सुशासन से सम्बन्धित अवधारणाओं का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से सम्बन्धित मूल अवधारणाओं, पंचायती राज सुशासन, सूचना का अधिकार एवं नेतृत्व का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। साथ ही महिला नेतृत्व के तहत् सुशासन के विकास को देखने का प्रयास किया गया है। अतः सुशासन की अवधारणा का अध्ययन में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी पर ही सुशासन की स्थापना रहा है। जिससे प्रशासन एवं सुशासन को गति प्रदान की जा सके तथा सत्ता का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण हो सके। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया जिसमें 73वाँ संवैधानीय संशोधन क्रान्तिकारी कदम रहा।

अतः अवधारणा के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए सुशासन के साथ सम्बन्धित कर विश्लेषत किया गया।

लोकतंत्र एक श्रेष्ठ प्रणाली है जिसमें पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। ताकि सुशासन के मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। महात्मा गाँधी 'ग्राम पंचायतों' को शक्ति सम्पन्न और राजनीतिक दृष्टि से 'गणराज्य' बनाना चाहते थे। भारतीय संस्कृति की शताब्दियों पुरानी इस कहावत **''वसुधैव कुटुम्बकम्''** का समय आ गया है। गाँधी वैश्वीकरण के पक्ष में थे और उनका वैश्वीकरण ग्राम पंचायत से शुरू होकर एक उच्चतम पद (राष्ट्रपति) तक जाता था।

गाँधीजी ने एक आदर्श लोकतंत्र को ग्रामीण समुदायों के संघों पर अवस्थित माना है। इसके अनुसार अहिंसक समाज स्वैच्छिक सहयोग पर कार्य करने वाले मानव समूहों से निर्मित होगा जो गाँवों में रहते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे।

सुशासन की यह अवधारणा सम्पूर्ण शासन प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता जवाबदेयता, संवेदनशील, उत्तरदेयता और नागरिकों की अधिकतम सहभागिता की अपेक्षा करती है।

सुशासन एक नागरिक केन्द्रित अवधारणा है जो अपना सम्पूर्ण ध्यान जनकल्याण पर केन्द्रित कर उसे वास्तविक रूप में प्राप्त करने हेतु जन भागीदारी के साथ शासन कर्मियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। समसामयिक संदर्भ में सुशासन निश्चित रूप से व्यापक अवधारणा है। यह शासन के एक नवीन संरचनात्मक कृत्यात्मक ढाँचे को प्रस्तुत करती है जो शासन को जनता के अधिक निकट ले जाकर उसकी सहभागिता में वृद्धि करते हुए पारदर्शिता स्थापित करने को उद्यत है। एक अवधारणा के रूप में सुशासन समाज और राजनीति की सभी संरचनाओं जैसे सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मीडिया, निजी क्षेत्र, सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को समाहित करता है। सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया गया है जिसमें शासन शक्ति का

प्रयोग राष्ट्र के विकास के लिए तथा राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबन्ध करने के लिए किया जाता है।

सुशासन के संदर्भ में विगत कुछ दशकों में सम्पूर्ण विश्व में प्रयास किए जा रहे हैं।, उनमें सर्वप्रथम स्थान सूचना के अधिकार व सूचना की स्वतंत्रता है। यही वह हथियार है, जिसके माध्यम से इन तत्वों को सुनिश्चित कर सुशासन स्थापित किया जा सकता है। सूचना के अधिकार की मांग वंचित और सुविधाविहीन लोगों को सम्मान और उनकी आजीविका के मुद्दों के प्रति सरकारी एजेंसियों के भ्रम और मनमाने आचरण के खिलाफ लम्बे समय की आवश्यकता के बतौर उठी है या कहे कि सरकार में व्याप्त कुशासन के खिलाफ उठी है। सूचना के अधिकार के परिणामस्वरूप पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जिससे कार्मिकों की दक्षता में वृद्धि होगी और परिणामतः उत्तरदायित्व बढ़ेगा। यही कारण है कि सुशासन में एक तरफ विकेन्द्रीकरण की बात की गई है तो दूसरी तरफ सूचना के अधिकार व स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नेतृत्व की सुदृढ़ता पर विशेष बल दिया गया है।

अध्याय में नेतृत्व का उल्लेख करने के पश्चात् महिला नेतृत्व का विवेचन एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिससे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली संवर्ग के रूप में महिलाओं को नेतृत्व के आधार पर सजग एवं सक्रिय बनाया जा सके।

इस प्रकार पंचायती राज, सुशासन, सूचना का अधिकार तथा नेतृत्व एवं महिला नेतृत्व को अवधारणात्मक रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय तृतीय :– अध्ययन क्षेत्र का पारिस्थतिकीय विवेचन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान एवं अजमेर जिले का सम्पूर्ण परिचय प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहाँ परम्परा और

आधुनिकता का अनुपम संगम है। यहाँ एक और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं तो दूसरी ओर इंदिरा गाँधी नहर क्षेत्र में भारत के सुनियोजित ग्राम व मण्डियाँ विकसित हो रही है। हस्तशिल्प, कला, वस्त्र, नृत्य व संगीत के परम्परागत रंगीनियों के साथ–साथ कोटा के निकट रावतभाटा में आधुनिकतम परमाणु विद्युत गृह, गोटन में स्वचालित श्वेत सीमेन्ट, खेतड़ी व देबारी के ताम्र व जस्ते के कारखाने विकसित हो रहे हैं, जो इस राज्य की प्राचीनता और नवीनता को ऐसे तारतम्य में बाँधते हैं कि राजस्थान भौगोलिक क्षितिज असीम हो जाता है। यद्यपि प्रशासनिक व राजनैतिक दृष्टिकोण से इस राज्य का जन्म भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् हुआ तथापि इसका सांस्कृतिक इतिहास अतीत के अंधकार में भी जगमगाता रहा है। वर्तमाान में राजस्थान में 33 जिलें, 973 उपखण्ड, 229 तहसीलें, 295 पंचायत समितियाँ व 9894 ग्राम पंचायतें व 7 नगर निगम हैं।

राजस्थान भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है। भारत वर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान प्रदेश विषमकोणीय चतुर्भुजाकार आकृति में है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की कुल सीमा 7933 किलोमीटर है। जिसमें 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण भाग है। राजस्थान का 60 प्रतिशत क्षेत्र यथा उत्तर–पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान और 40 प्रतिशत क्षेत्र यथा था दक्षिण पूर्वी भाग गैर रेगिस्तानी क्षेत्र है।

अध्याय में राजस्थान की जलवायु, वर्षा, जनसंख्या, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति, परिवहन, दार्शनिक स्थल एवं राज्य की मजबूत स्थिति का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र अजमेर जिले का ऐतिहासिक परिचय प्रस्तुत करते हुए राज्य के वर्तमान स्वरूप को विवेचित किया गया है।

राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर ब्रिटिश काल से ही प्रशासनिक आधार पर प्रेसीडेंसी होने के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जगतपिता ब्रह्मा की

यज्ञस्थली तीर्थराज पुष्कर और महान् सूफी संत ख्वाजामोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की वजह से दुनियाभर में विख्यात अजमेर अपनी विशिष्ट मिलीजुली संस्कृति व साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। इसका सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना सातवीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के प्रथम पुत्र अजयराज चौहान द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अजमेर तथा मेरवाड़ा नामक दो जिले ब्रिटिश राज्य के अधीन सीधे केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में विद्यमान थे। 1956 तक भी अजमेर मेरवाड़ा केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में रहा किन्तु इसके बाद अजमेर को एक अलग जिला बनाकर उसे राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया।

अजमेर शहर राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 138 किमी. पश्चिम में स्थित है। वर्तमान में अजमेर जिला $25^0$38 से $26^0$58 उत्तरी अक्षांश तथा $73^0$54 से. $75^0$22 पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। अजमेर, अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसकी मजबूत चट्टानें विशाल सहारा रेगिस्तान से अजमेर की रक्षा करती हैं।

अजमेर जिला भारत के पश्चिमी भाग में तथा राजस्थान के मध्य में स्थित है। यह संसार की प्राचीनतम मोड़दार अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। जो समुद्र तल से 1300 फुट ऊँचा है।

अध्याय में अजमेर जिले की सीमाएँ, जलवायु, पर्वतक्षेत्र, मिट्टी, वनस्पति, नदियाँ एवं जलाशय बाँध सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति परिवहन एवं दार्शनिक स्थल का उल्लेख किया गया है। चूँकि परिवेश नेतृत्व एवं विकास को प्रभावित करता है अतः प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले एवं ग्राम पंचायतों का विवेचन किया गया है।

अध्याय चतुर्थ :– उत्तरदात्री परिचय

प्रस्तुत अध्याय में अजमेर जिले की ग्राम पंचायतों की चयनित महिला सरपंचों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय में आयु,

वर्ग, धर्म, शैक्षणिक स्तर, वैवाहिक स्तर, पारिवारिक स्थिति, जाति, वैवाहिक उम्र, परिवार के प्रकार, कृषिभूमि का प्रकार, कृषि भूमि की स्थिति जैसे प्रश्न कारकों को आधार मानकर नेतृत्वकृत्रियों की शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। पंचायती राज में महिला नेतृत्व की वर्तमान व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। राजस्थान के रुढ़िवादी ग्रामीण समाज में जहाँ पर्दा–प्रथा, महिला निरक्षरता तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था है, वहाँ उसी समाज की महिलाएँ बल्कि अति पिछड़े वर्ग से चयनित महिलाएँ जब सरपंच की कुर्सी पर पूरे गाँव के सामने बैठेंगी तो यह सुशासन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायती राज आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ और सार्थक हुआ है। जिससे सुशासन के विकास को एक नयी दिशा प्राप्त हुई। पंचायती राज में सुशासन के विकास में ग्रामों में महिला नेतृत्व एवं सक्रियता की सशक्त अभिव्यक्ति है। निदर्श समूह की व्यक्तिगत जानकारी से स्पष्ट होता है कि निदर्श की 138 महिला सरपंचों को शामिल किया गया है जो कि अजमेर जिले में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण के पश्चात् विजयी होकर सरपंच के पद को प्राप्त की है।

यह महत्वपूर्ण चर निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक नेतृत्व एवं सुशासन की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। उत्तरदात्रियों के व्यक्तिगत तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान में ग्रामीण महिला नेतृत्वकर्ता में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से लगभग 10.14 प्रतिशत महिलाएँ 21–35 वर्ष की हैं तथा उतनी ही प्रतिशत महिलाएँ 65 वर्ष से अधिक वर्ष की हैं जबकि 50–65 वर्ष की निर्वाचित महिलाएँ 38 प्रतिशत हैं तथा **सबसे अधिक** मध्यम आयु वर्ग की अर्थात् 35–50 वर्ष की निर्वाचित महिलाएँ 42 प्रतिशत हैं। जोकि इनके क्रियाशील विचारों में उदार, व्यवहार में परिवर्तनशील तथा जीवन के प्रति तर्कपूर्ण मनोवृत्ति रखना दर्शाता है। निर्वाचित महिला सरपंच प्रतिनिधियों में 40 प्रतिशत महिलाएँ **साक्षर** लगभग 32 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, 3 प्रतिशत स्नातक स्तरीय

शिक्षा प्राप्त महिलाएँ तथा 1 महिला स्नातकोत्तर शिक्षित पाई गई। जबकि 24 प्रतिशत महिलाएँ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की हुई हैं।

विवाह भारतीय समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है जिसे स्वीकार करते हुए आज भी अविवाहित महिला सरपंच मात्र 0.72 प्रतिशत हैं जबकि **विवाहित महिला सरपंच** 88 प्रतिशत हैं तथा विधवा महिला सरपंच लगभग 11 प्रतिशत हैं। निर्वाचित महिलाओं में सामान्य जाति की महिलाएँ मात्र 28 प्रतिशत हैं जबकि **अन्य पिछड़ा वर्ग की** 52 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की 1 प्रतिशत महिलाओं का नेतृत्व है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सम्मिलित रूप से कुल निर्वाचित महिलाओं का 72 प्रतिशत है। नयी संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके परिवार की आय के आधार पर ही निर्धारित होती है और इन निर्वाचित महिलाओं की अधिकतर वार्षिक आय एक लाख से भी कम है। व साथ ही इनमें से अधिकतर महिलाओं के पास सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि है। लेकिन इनमें से अधिकतर महिलाओं के पास कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक है।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में अति संक्षिप्त रूप में महिला सरपंचों (नेतृत्वकृत्रियों) का उत्तरदात्रियों के रूप में परिचय दिया गया है।

अध्याय पंचम :– ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व एवं सुशासन के प्रति दृष्टिकोण : विवेचन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन में सम्मिलित महिला सरपंचों का सुशासन के प्रति दृष्टिकोण को विवेचित एवं विश्लेषित किया गया है जिसमें कि महिला (सरपंच) नेतृत्वकृत्रियों की राजनीतिक चेतना एवं जागृति के स्तर के साथ वर्तमान निर्वाचन को विश्लेषित एवं व्याख्यायित एवं महिला नेतृत्व के मार्ग में आने वाली समस्याओं

का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में नवीन पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ हुआ। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं की प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। इन संस्थाओं के माध्यम से देश के आम ग्रामीण जन मानव को अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। खासकर महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है, वह अपने अधिकारों को पहचानने व इनकी प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगी है। जोकि सुशासन के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है। पंचायती राज लोकतंत्र और सुशासन के विकास में ग्रामों की सहभागिता और सक्रियता की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यक्ति है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हमारे देश की प्राचीनतम परम्परा है और समयानुसार इस परम्परा ने अपना महत्त्व और प्राथमिकता स्थापित की है। स्वस्थ भारत में लोकतंत्र और सुशासन के विकास की समूची संरचना गाँवों को केन्द्र में रखकर की गई है। प्रस्तुत अध्याय में महिला (सरपंच) नेतृत्वकृत्रियों की राजनीतिक चेतना एवं जागृति के स्तर के साथ वर्तमान निर्वाचन को विश्लेषित एवं व्याख्यायित किया गया है। राजनीतिक चेतना एवं जागृति का स्तर लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का द्योतक है। महिला नेतृत्व कृत्रियों की राजनीतिक मुद्दों एवं सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी अच्छी होगी तो उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं में अर्थपूर्ण भागीदारी बढ़ेगी जिससे अच्छे राजनीतिक अभिमुखीकरण दृष्टि से महिला नेतृत्वकृत्रियों की सहभागी स्थिति को जानना सुशासन के विकास की दृष्टि से उपयोगी है।

100 प्रतिशत महिला सरपंच ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बारे में संज्ञान रखती है। कोई भी महिला सरपंच ऐसी नहीं है जो इन चारों संस्थाओं के बारे में नहीं जानती हो अतः नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रक्रिया के बारे में उन्हें जानकारी है। इसका प्रमुख कारण महिला सरपंचों का ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के क्रियाकलापों में भागीदारिता है। साथ ही 100

प्रतिशत महिलाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को उपयुक्त मानती है। इससे स्पष्ट है कि आज भी राजनीति में आई हुई महिलाओं में सभी महिलाएँ वर्तमान लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को उपयुक्त मानती है। 60.04 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ सुशासन के अर्थ को समझती है जानती है व सुशासन की पंचायती राज व्यवस्था में क्या महत्ता है इसको भी वो भली भांति समझती है। जबकि 39.85 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ नहीं जानती कि सुशासन का क्या अर्थ है? अतः इस कारण कुछ महिलाएँ पंचायती राज में सुशासन के अर्थ को नहीं समझ पाई है। 100 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं का मानना है कि पुरुष व महिला दोनों ही अच्छे नेतृत्वकर्त्ता हो सकते हैं। व यह दोनों का क्षेत्र है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ही महिलाएँ भी जेण्डर इक्वेलिटी अर्थात् लैंगिक समानता में विश्वास करती है और नेतृत्व की दृष्टि से दोनों को अच्छा मानती है अर्थात् महिला–पुरुष में भेद या महिलाओं में किस तरह की कमी को नहीं स्वीकार करती है जो भारत में सामाजिक न्याय एवं समानता की स्थापना के प्रति सकारात्मक सोच के विकास को पुष्ट करता है। 92.02 प्रतिशत महिलाओं को पंचायतों में होने वाली बैठकों के बारे में जानकारी रहती है जबकि 7.97 प्रतिशत महिलाओं को इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि आज भी कुछ महिलाएँ पंचायती राज व्यवस्था में आने के बाद अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति सजग नहीं पाई गई अर्थात् वह इसके लिए अन्यों पर निर्भर रहती है या यों कह सकते हैं कि उनके कार्यों का निर्वाह कोई और सदस्य करता है। 94.92 प्रतिशत महिला पंचायतों की होने वाली बैठकों में नियमित भाग लेती है जबकि 3.62 प्रतिशत महिलाएँ कभी–कभी तथा 1.44 प्रतिशत महिला ऐसी भी थी जो कि बैठकों में कभी भी भाग नहीं लेती थी। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर महिलाएँ पंचायतों में होने वाली बैठकों में नियमित भाग लेकर अपने आपको राजनीति के प्रति सजग बनाए रखती है तथा अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का भी प्रयोग करती है। 94.92 प्रतिशत पंचायत की बैठकों में भाग लेती है लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि (महिला) बैठकों में भाग नहीं ले पाती है उसका कारण 3.62 प्रतिशत महिला पारिवारिक उत्तरदायित्व को जिम्मेदार मानती है। जबकि 1.44

प्रतिशत महिला पंचायत भवन को घर से दूर होने के कारण को जिम्मेदार ठहराती है। इससे स्पष्ट है कि जो महिलाएँ बैठकों में अनियमित भाग नहीं ले पाती है। वह कहीं न कहीं इसके लिए परिवार के उत्तरदायित्वों व दूरी को जिम्मेदार मानती है।

100 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्रियों को ग्राम पंचायत में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी है हालांकि नेतृत्वकृत्रियाँ योजनाओं की केवल व्यवहारिक जानकारी रखती है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवहारिक जानकारी, जागरूकता एवं सचेतना को इंगित करता है। चूंकि सुशासन में गाँवों में लोककल्याणकारी नीतियाँ चलायी जा रही है, चूंकि देश की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसलिए केन्द्र सरकार की यहीं कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएँ गाँवों के लिए चलाई जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में पंचायत की भागीदारी के बिना कोई भी योजना नहीं चलाई जा सकती है। पंचायतों की भागीदारी बढ़ने से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ गई है।

73.91 प्रतिशत महिला सरपंचों को जननी सुरक्षा योजना की जानकारी है, जो कि सुशासन हेतु गाँवों में महिला विकास के कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। 26.0 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को प्रसूति व्यवस्था, 39.85 प्रतिशत महिला सरपंचों को आंगनबाड़ी कार्यक्रम की जानकारी हे। इसके साथ ही 25.36 प्रतिशत महिला सरपंचों को विधवा पेंशन योजना एवं 20.28 प्रतिशत ने प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन बताया। इस प्रकार राजस्थान में सुशासन हेतु महिला विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से 'महिला विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।

52.89 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्री सूचना के अधिकार की पूर्ण जानकारी रखती है जबकि 15.94 प्रतिशत महिला सरपंच इस अधिनियम के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है। कहा जा सकता है कि सूचना के अधिकार के प्रति नेतृत्वकृत्रियों के जानकारी का स्तर संतोषजनक है। जो पंचायती राज व्यवस्था के

लिए सकारात्मक दिशा का निर्धारण कर रहा है। क्योंकि सूचना के अधिकार की सार्थकता निचले स्तर पर क्रियान्वयन से ही सिद्ध हो सकती है। 68.11 प्रतिशत महिलाएँ को सूचना का अधिकार का कानून कब आया इसकी जानकारी नहीं है, 4. 73 प्रतिशत महिला सरपंचों ने 2001 में, 5.79 प्रतिशत महिलाओं ने 2002 में व 21. 73 प्रतिशत महिला सरपंचों ने सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया इसके सन्दर्भ में जानकारी दी। 93.47 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्री जानती है कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता लाने में उपयोगी है। इसके अलावा आमजन को सशक्त करने के मत में भी 94.92 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्री की सहमति व्यक्त की गई है। इसके साथ 73.98 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्रियों का मानना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार तथा अनियमितता को कम करने में उपयेागी होगा तथा 96.37 प्रतिशत का मानना है कि यह अधिकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने में भी उपयोगी है। 3.62 प्रतिशत महिलाएँ इसे शासन में सहभागिता बढ़ाने में उपयोगी मानती है जबकि 39.13 प्रतिशत महिला सरपंच सरकार पर नियन्त्रण रखने के लिए उपयोगी मानती हैं। महिला सरपंच इसे प्रशासन में पारदर्शिता तथा खुलेपन लाने एवं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण हथियार मानती है जिससे प्रशासन के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक उत्तरदायित्वता को बढ़ावा मिलेगा एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज एवं सुशासन का स्वप्न भी फलित होगा।

73.91 प्रतिशत महिलाओं को पंचायतों में धन के वितरण सम्बन्धी जानकारी है जबकि 26.08 प्रतिशत महिला सरपंचों को पंचायतों में धन के वितरण सम्बन्धी जानकारी नहीं है। 67.39 प्रतिशत महिला सरपंचों को ग्राम पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सन्दर्भ में जानकारी है, जबकि 32.60 प्रतिशत महिला सरपंचों को भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के बारे में जानकारी नहीं है।

32.60 प्रतिशत महिला सरपंच ने माना कि उन्हें ग्राम पंचायत सम्बन्धी आवंटित कार्य करवाने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कमीशन देना पड़ता है। 56.52 प्रतिशत महिला सरपंच मानती है कि ठेकेदारोंस सद्वारा घटिया काम के

लिए धन का दुरुपयोग होता है, 13.04 प्रतिशत महिला सरपंचों के अनुसार सरकारी कार्यों को करवाने के लिए बिचौलियों के दबदबे का भी सामना करना पड़ता है जिसके कारण घूस को बढ़ावा मिलता है। 27.53 प्रतिशत महिला सरपंच पटवारी, ग्रामसेवक द्वारा पैसे लेकर काम करना तथा 7.24 प्रतिशत महिला सरपंच योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पैसे देना भी बताया जबकि 55.07 प्रतिशत महिला सरपंच ने आँकड़ों के फेरबदल में गड़बड़ी में भी भ्रष्टाचार को शामिल बताया। इनके अनुसार अशिक्षित तथा कम पढ़ी लिखी होने के कारण उन्हें बजट तथा कार्यों सम्बन्धी आँकड़ों की जानकारी नहीं रहती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की जानकारी एवं जागरूकता के अभाव के कारण भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को बढ़ावा मिलता है। जिसे वे जानने के बावजूद रोक नहीं पाती है।

61.59 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि योजनाओं के क्रियान्वन में पारदर्शिता रखी जानी चाहिए, जबकि 65.21 प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये अर्थात् उसके प्रति जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया जाये, 90.57 प्रतिशत महिला सरपंच अधिकारियों के निरन्तर सहयोग के लिए उनकी नियमित उपस्थिति चाहती हैं। 73.91 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्री ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्यों में ईमानदारी तथा कर्त्तव्य निष्ठा को बढ़ावा दिया जाने पर बल देती है, 97.82 अधिकारियों तथा महिला प्रतिनिधियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना चाहती है जिससे प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों को करवाने में सुविधा हो सके, 100 प्रतिशत शिक्षा की अनिवार्यता, 32.60 प्रतिशत महिला सरपंचों का मानना है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उसके विरुद्ध लोकमत उत्पन्न किया जाये, 18.11 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्री कार्य करवाने की तय सीमा निर्धारित की जाने पर बल देती है। 65.94 प्रतिशत महिला सरपंच गैर सरकारी संस्थाओं तथा मीडिया की भूमिका को बढ़ावा देने तथा स्थानीय भाषा में लोकगीत नाटक एवं पारम्परिक नृत्यों द्वारा आम जन में जानकारी व जागरूकता को

फैलाने को भी महत्त्वपूर्ण मानती हैं। अतः स्पष्टतः कहा जा सकता है कि नेतृत्वकृत्री अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जानकारी रखती हैं एवं ग्राम पंचायत विकास हेतु कार्यों में पारदर्शिता हेतु बढ़ावा देने में सहमति रखती हैं। 92.75 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता रखती है। वहीं 7.24 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। इनके अनुसार सभी कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि महिलाएँ अपने कार्यों के प्रति सजग है तथा कार्य संचालन में पारदर्शिता को महत्त्व दे रही हैं।

56.52 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच आँकड़ों को व्यवस्थित रखकर, 94.92 प्रतिशत समय–समय पर सूचनाओं का प्रचार प्रसार करके, 74.63 प्रतिशत पंचायत से सम्बन्धित सूचनाओं को सार्वजनिक करके तथा 81.24 प्रतिशत जनसुनवाई द्वारा पारदर्शिता रखती है। अतः स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में पारदर्शिता का प्रचलन असल रूप में प्रदर्शित हो रहा है।

92.75 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ सूचनाओं को प्रदान करती है। जबकि 7.24 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जा सकता है कि अधिकांश महिलाओं को जानकारी है कि सूचनाओं को प्रदान किया जाता है। 90.57 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्री ग्राम पंचायत में स्वतः सूचनायें प्रदान करती है जबकि 2.17 प्रतिशत महिला सरपंच मांगने पर सूचना प्रदान करती है वही 7.24 प्रतिशत महिला सरपंच इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है। अतः कहा जा सकता है कि महिला नेतृत्वकृत्री ग्राम पंचायतों में आम जन को सूचना प्रदान करने के प्रति सजग है। 100 प्रतिशत महिला सरपंच आपको प्राप्त शक्तियों का निर्वहन समय–समय पर क्षेत्र में निरीक्षण द्वारा करती है। 71.01 प्रतिशत महिला सरपंच शक्तियों का निर्वहन सम्बन्धित विभागों के अधिकारों से सम्पर्क करके करती है। 47.10 प्रतिशत महिला सरपंचों के द्वारा उनको प्राप्त शक्तियों का निर्वहन परिवार के सदस्यों के सहयोग द्वारा किया जाता है, जबकि 21.73 प्रतिशत महिला

सरपंच उनको प्राप्त शक्तियों का निर्वहन अपने पति के सहयोग द्वारा करती है। 100 प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि सुशासन के विकास के लिए ग्राम सभा में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 28.98 प्रतिशत महिलाओं की राजनीति में कोई विशेष सहभागिता नहीं पाई गई है लेकिन 71.01 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता राजनीति में पाई गई इससे स्पष्ट है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महिलाएँ आगे आ रही है और राजनीति में महिलाएँ नई–नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जागरूक दिखाई दे रही है। 34.05 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं के परिवार का कोई ना कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय रहा है। लेकिन 65.94 प्रतिशत महिलाओं के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में भागीदार नहीं रहा है। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन में आने वाली अधिकतर निर्वाचित महिलाएँ अपने स्तर पर चुनाव जीतकर राजनीति में आई है।

34 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं के ही परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय है जिसमें से 4.34 प्रतिशत महिलाओं के ससुर राजनीति में रहे हैं, 21.73 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं के पति किसी न किसी रूप में राजनीति में सक्रिय है। 2.89 प्रतिशत महिलाओं के जेठ या देवर राजनीति से जुड़े हुए है। तथा 1.44 प्रतिशत महिलाओं के पीहर पक्ष के सदस्य (भाई, भाभी, बहिन) राजनीति से जुड़े हुए है। जबकि निर्वाचित महिलाओं में से लगभग 4 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ पूर्व में भी राजनीति में जुड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर महिलाओं के ससुराल पक्ष के सदस्यों के राजनीति में सक्रिय होने के कारण वह भी राजनीति में आगे आ पाई। 61.59 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीति में आने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 94.92 प्रतिशत महिलाओं को परिवार का समर्थन प्राप्त था। 56.52 प्रतिशत महिलाओं को जाति का समर्थन प्राप्त था। तथा 31.15 प्रतिशत महिलाओं को मित्रों का समर्थन प्राप्त था। और 18.11 सबसे कम निर्वाचित महिलाओं को महिलाओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक महिलाओं को परिवार का समर्थन प्राप्त है जबकि सबसे कम महिलाओं को महिलाओं का

समर्थन प्राप्त हुआ। 2.17 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने ही कहा है कि उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति में प्रवेश लिया है। 39.85 प्रतिशत का मानना है कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश पारिवारिक कारणों से लिया है तथा 18.11 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश अपनी इच्छा से लिया है जबकि 76.81 प्रतिशत महिलाओं ने राजनीति में प्रवेश का कारण समाजसेवा की भावना होना बताया। 76. 81 प्रतिशत महिलाओं ने ही आरक्षण को राजनीति में प्रवेश का कारण बताया। तथा 1.45 प्रतिशत महिलाओं को मानना है कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश आर्थिक लाभ के लिए किया। इससे स्पष्ट है कि आज भी अधिकतर महिलाएँ राजनीति में प्रवेश का आधार आरक्षण व पारिवारिक कारणों को मानती हैं। 90.57 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी परिवार के सदस्यों से प्राप्त होती है। 36.23 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रेडियो व टी.वी. द्वारा प्राप्त होती है। 88.40 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी बैठकों में विकास अधिकारियों के द्वारा प्राप्त होती है। 21.04 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को सबसे कम जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। 25.36 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मित्र समूह के द्वारा प्राप्त होती है। 58.69 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी सचिवों के द्वारा प्राप्त होती है। 18.11 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी अन्य माध्यमों के द्वारा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक राजनीतिक घटनाओं की जानकारी का स्त्रोत उनका अपना परिवार है अर्थात् वह उसके परिवार पर निर्भर है।

100 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि प्रतिनिधि बनने से पारिवारिक निर्णय शक्ति में अभिवृद्धि हुई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायतों के निर्णयन प्रक्रिया के कारण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ जिससे उनकी पारिवारिक निर्णय शक्ति में भी वृद्धि हुई है। 100 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि

महिलाओं के शिक्षित होने से सुशासन के विकास को गति मिलेगी। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में महिलाएँ शिक्षा को लेकर जागरूक हो रही है।

90.57 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का मानना है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के वित्त सम्बन्धी मुद्दों के निर्णय में वह भागीदारिता चाहती है लेकिन इनके निर्णय में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, 100 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का मानना है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के ग्राम विकास सम्बन्धी मुद्दों के निर्णय में वह भागीदारिता चाहती है लेकिन इन निर्णयों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। 88.40 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का मानना है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत की निर्णय प्रक्रिया के अंतिम समय में मुद्दों के निर्णय में वह भागीदारिता चाहती है लेकिन इनमें इन्हें शामिल नहीं किया जाता है जबकि 94.92 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का कहना है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों में भागीदारिता चाहती है। अतः कहा जा सकता है कि निर्णय निर्माण में सक्रियता व निष्क्रियता के कारणों में मुख्यतः स्वयं का शिक्षित नहीं होना राजनीति जागरूकता एवं समझ का अभाव, पुरुष वर्चस्वता, निम्न महिला प्रस्थिति रही है। इसके अतिरिक्त परिवार का सहयोग न मिलना, निम्न जाति का होना, कमजोर आर्थिक स्थिति, पर्दा प्रथा, जातीय गुटबंटी को भी माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में नेतृत्वकृत्रियों की सहभागिता होती है किन्तु उसका स्तर कम ही होता है। 96.37 प्रतिशत महिलाएँ ये मानती है कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन पंचायतों में आरक्षण के कारण आया है जबकि 3.62 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का कारण उन्हें पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पंचायतों में महिला आरक्षण ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। 63.04 प्रतिशत महिला सरपंच मानती है कि उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ी है। जबकि 83.3 प्रतिशत मानती है कि अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति जानकारी एवं सचेतनता बढ़ी 86.95 प्रतिशत महिला मानती है कि

आरक्षण से महिलाओं की समस्या का समाधान होने लगा है। 61.59 प्रतिशत महिला सरपंच के अनुसार आरक्षण मिलने से व्यवस्था में सहभागी बनने की लालसा भी बढ़ी है।

स्पष्ट है कि आरक्षण मिलने से महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई है तथा वे जागरूक एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हुई है जो उनकी सक्रियता एवं जागरूकता को प्रदर्शित करती है। अतः आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सुशासन एवं महिला नेतृत्व के विकास में आरक्षण का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जिससे महिलाओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। 100 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर महिलाओं की सक्रियता से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इससे स्पष्ट है कि उच्च पद पर महिला का होना अन्य महिलाओं की सोच व स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। 100 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि महिलाओं को अधिकार प्रदान करने से उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। 39.85 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि अधिकारों को प्रदान करने से उनके जीवन स्तर में सुधार, 66.66 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उन्हें रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है व 68. 14 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनके अधिकार शक्ति में वृद्धि हुई व 63.76 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनको अधिकार प्रदान करने से उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है। जो कि ग्रामीण सुशासन के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 76.08 प्रतिशत महिला सरपंच का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत में महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वन हुआ है। हालांकि उन्हें योजनाओं की केवल व्यवहारिक जानकारी है फिर भी यह जानकारी उनकी जागरूकता को प्रदर्शित करती है। वही 23.09 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत में महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वन नहीं हुआ है। कहा जा सकता है कि पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा

महिला विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिससे महिलाएँ शिक्षित, जागरूक एवं स्वालम्बी बन सके।

44.92 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है जबकि 39.85 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनके जीवनस्तर में सुधार से सहमत है, 59.42 महिला सरपंच का मानना है कि नरेगा में महिलाओं की भागीदारी से उनकी बचत बढ़ गई है एवं वे निवेश प्रक्रिया में भी सक्रिय हो रही है जबकि 63.76 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनसे सम्बन्धित योजनाओं के आने से समाज में उनकी स्थिति बेहतर हो गई। कहा जा सकता है कि महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वन से उनकी स्थिति में सुधार परिलक्षित होता है परन्तु शासन की उदासीनता तथा जागरूकता एवं जानकारी के अभाव के कारण इसका स्तर उच्च नहीं है। अतः महिलाओं को उनसे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वन के संचालन के लिए योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक करना चाहिए जिससे महिलायें योजनाओं का लाभ उठा सकें तथा गैर सरकारी संगठनों एवं अधिकारियों द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। 92.75 प्रतिशत महिला सरपंचों ने पानी की व्यवस्था, 86.95 प्रतिशत महिला सरपंचों ने नालियों का निर्माण, 90.57 प्रतिशत महिला सरपंचों ने मनरेगा में पारदर्शिता, 96.37 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत में सड़क की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य होते रहे हैं। 95.65 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि विकास सम्बन्धी कार्य, 52.89 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने हेतु कार्य उनकी ग्राम पंचायत में होते रहे हैं। जो कि सुशासन के विकास को बढ़ाता है।

95.65 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं का मानना है कि पंचायतों में विकास संबंधी कार्य करवाये, जबकि 90.57 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं का मानना है कि पंचायतों में गरीबों की सहायता सम्बन्धी कार्य करवाये। 46.37 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं का मानना है कि पंचायतों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण

एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ावा देने हेतु कार्य करवाये। 90.57 प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानना है कि पंचायतों में पानी की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करवाये। 83.33 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं का मानना है कि पंचायतों में सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये। जबकि 52.82 प्रतिशत महिला सरपंचों ने सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करवाया जिससे आम जन जागरूक हो सके एवं पंचायत से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकें और पंचायत सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता आ सके। व 62.31 प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने सम्बन्धी कार्य करवाये। जो कि सुशासन को गति प्रदान करते हैं। 24.63 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का कहना है कि वह सार्वजनिक कार्यों के लिए जिला प्रमुख से मिली 83.33 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का कहना है कि वह सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रधान से मिली है, 3.62 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का मानना है कि वह सार्वजनिक कार्यों के लिए जिलाधीश से मिली है जबकि 63.76 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों का कहना है कि वह सार्वजनिक कार्यों के लिए बी.डी.ओ. से मिली है। इससे स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि सबसे अधिक प्रधान तथा बी.डी.ओ. से मिलते और सबसे कम जिलाधीश से मिलती है। 92.75 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को कार्य के दौरान जनता का सहयोग प्राप्त हुआ, 23.18 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को कार्य के दौरान सहयोगी पंचों का सहयोग प्राप्त हुआ। 3.62 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को कार्य के दौरान पंचायतकर्मियों का सहयोग प्राप्त हुआ, 8.69 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को कार्य के दौरान शासकीय कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ, 63.76 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को कार्य के दौरान परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ। 14.49 प्रतिशत निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को कार्य के दौरान अन्य महिलाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। इससे यह तो स्पष्ट है कि कार्य के दौरान परिवार व जनता ने उनके साथ अधिक सहयोग किया जबकि पंचायतकर्मी, शासकीय कर्मचारी, पंचों, अन्य महिलाओं का सहयोग, अपेक्षाकृत कम रहा। अतः कहा जा सकता है कि महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा अन्य

व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व प्रयास उनमें राजनीतिक सक्रियता को प्रदर्शित करती है तथा भविष्य में चुने जानी वाली महिला जनप्रतिनिधियों के शासन के प्रति सक्रियता तथा जवाबदेयता की प्रवृत्ति को इंगित करती है।

100 प्रतिशत महिला सरपंच सार्वजनिक कार्य हेतु घर–घर जाकर, 100 प्रतिशत महिला सरपंच चौपाल और बैठकों के माध्यम से, 100 प्रतिशत महिला सरपंच परिवाजनजन के माध्यम से, 32.60 प्रतिशत महिला सरपंच लिखित रूप में एवं 39.85 प्रतिशत महिला सरपंच अन्य साधनों से सम्पर्क स्थापित करती है। अतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक कार्य हेतु महिला सरपंच जनसामान्य से सम्पर्क, घर–घर जाकर, चौपाल और बैठकों के माध्यम से, परिवार जन के माध्यम से लिखित रूप से टेलीफोन एवं अन्य किसी संसाधनों से स्थापित करती है।

100 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनका महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को लेकर दृष्टिकोण अच्छा है। बूरा व तटस्थ की संख्या नगण्य है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नवीन संशोधन एवं 2008 आरक्षण विधेयक के द्वारा पंचायतों में महिला नेतृत्वकृत्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही उनके निर्णयन शक्ति का भी संचार हुआ जिससे उनमें सशक्तिकरण का अनुभव होने लगा इसलिए वे महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को अच्छा मानती है। 86.95 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ भविष्य में राजनीति में आना चाहती है जबकि 13.04 प्रतिशत महिलाएँ दोबारा राजनीति में नहीं आना चाहती। इससे स्पष्ट है कि वर्तमाान में महिलाओं का रूझान राजनीति की और बढ़ रहा है। 69.56 प्रतिशत महिला सरपंच पंचायत समिति स्तर पर, 22.46 प्रतिशत महिलाएँ जिला स्तर पर व 5.79 प्रतिशत महिलाएँ संसदीय स्तर पर प्रतिनिधित्व में आना चाहती है। अर्थात स्पष्ट है कि ज्यादातर महिला सरपंचों के द्वारा पुनः सरपंच के पद को प्राप्त करने की सबल इच्छा है।

महिलाओं की समस्याएँ केवल आधुनिक समाज में ही नहीं वरन् यह बहुत ही पुरानी है। महिला नेतृत्व की दृष्टि से यदि हम देखें तो उनके नेतृत्व के मार्ग में किसी न किसी रूप में चाहे धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर, बाधाएँ तो

आती ही रही है। निःसन्देह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्वराज्य में महिलाओं को राजस्थान विधेयक 2008 के द्वारा पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया हो लेकिन गाँवों में अशिक्षा, अज्ञानता, निर्धनता तथा लोगों में फैली रुढ़िवादी भावना सुशासन एवं पंचायती राज को सफल बनाने में रोड़ा है।

34.78 प्रतिशत महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी लगती है, 47.10 प्रतिशत महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी लगती है, 25.36 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की कमी लगती है, 61.59 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की लगती है। 47.10 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शराब की लगती है। 36.95 प्रतिशत महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क की समस्या लगती है, 63.76 प्रतिशत महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शौचालय की कमी लगती है। 56.52 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को अपने क्षेत्र में इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं को भी बड़ा मानती है। इससे स्पष्ट है कि निर्वाचित महिलाओं को अपने क्षेत्र में किसी न किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।

निर्वाचित महिला सरपंचों के राजनीतिक कार्यों में बाधा पहुँचाने वाले तत्वों में अशिक्षा को 73.91 प्रतिशत, 69.56 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों ने पर्दा प्रथा, 58.69 प्रतिशत ने पुरुष वर्चस्व को, 15.94 ने महिला होने के कारण को बाधक तत्व बताया, 9.42 प्रतिशत निर्वाचित महिला नेतृत्वकृत्रियों ने अधिकारी वर्ग को, 6.52 प्रतिशत निर्वाचित महिला नेतृत्वकृत्रियों ने सहयोगियों द्वारा सहयोग न करने को, 7. 97 प्रतिशत महिला सरपंचों ने पारिवारिक कारणों को, 23.91 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों ने जानकारी के अभाव को उनके सुशासन के विकास में बाधक तत्व बताया है। कहा जा सकता है कि महिला नेतृत्व को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन इन समस्याओं के बावजूद वे सफलतापूर्वक ग्राम पंचायतों के

कार्यों को निर्वहन कर रही है। महिला आत्मविश्वास में वृद्धि तथा विकास एवं प्रशासन से सहभागी होने के दायित्व को सफलतापूर्वक निभा रही है जो उनकी जागरुकता तथा सक्रियता को प्रदर्शित करता है और जो सुशासन के विकास की ओर इशारा करता है।

58.69 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को कार्य के दौरान दिक्कत नहीं आई क्योंकि कार्य के दौरान परिवार के सदस्यों व जनता का सहयोग मिलता रहा जबकि 41.30 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों को कार्य के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 56.52 प्रतिशत महिलाओं को बजट समझ नहीं आता है, 21.73 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को कागज भरना नहीं आता है, 56.87 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को नियम नहीं मालूम, 9.42 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को यह नहीं मालूम कि वे किस अधिकारी से सम्पर्क करें। जबकि 14.49 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को कार्य के दौरान किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश निर्वाचित महिलाओं को कार्य के दौरान किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें नियम, बजट की जानकारी का अभाव प्रमुख हैं। 90.57 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव रखकर प्रयास किया है, 27.53 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने कार्य करवाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। 5.79 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने बहस करके कार्य करवाने के लिए प्रयास किया, 65.94 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने कार्य करवाने के लिए जनसहयोग लिया व 13.04 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने अधिकारियों से मिलकर कार्य करवाने के लिए प्रयास किया है। इससे यह तो स्पष्ट है कि निर्वाचित महिलाओं को कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव व जनसहयोग सबसे उपयुक्त साधन लगे। 55.07 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है जबकि 44.92 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने पूर्व में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन की उदासीनता तथा

महिलाओं का जागरुक नहीं होने के कारण वे प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती है। जो कि सुशासन के विकास के लिए घातक है।

44.92 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं की प्रशिक्षणार्थियों में समन्वय एवं रुचि नहीं होती, 20.28 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण में महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान रहने की व्यवस्था सही नहीं होना एक समस्या लगती है, 23.91 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण में भाषा जनसामान्य की न होने से कुछ समझ नहीं जाता। जबकि 10.86 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण में अधिकारियों की उदासीनता व समन्वय का अभाव होने से समस्या आती हैं। अतः कहा जा सकता है कि उत्तरदात्रियों को भाषा की समस्या के साथ–साथ अधिकारियों की उदासीनता का भी सामना करना पड़ता है, जो ग्राम पंचायत सम्बन्धी कार्यों में उनकी सक्रियता को प्रभावित करता है जिसका प्रभाव प्रशिक्षण में उत्तरदात्रियों की उपस्थिति पर पड़ता है। 27.53 प्रतिशत महिला सरपंच प्रशिक्षण स्थल के दूर होने के कारण प्रशिक्षण में शामिल नहीं होती है जबकि 18.11 प्रतिशत महिला सरपंच प्रशिक्षण स्थल जाने हेतु संसाधनों के अभाव को कारण बताती है। वहीं 54.34 प्रतिशत महिला सरपंच घरेलू व्यस्तता के कारण प्रशिक्षण में शामिल नहीं होती है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रशिक्षण स्थल की दूरी, यातायात का अभाव तथा घरेलू व्यस्तता के कारण महिला उत्तरदात्री उसमें शामिल नहीं हो पाती है।

65.21 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ वित्त सम्बन्धी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं जिससे वे प्रशासन से आने वाले धन एवं उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाये जान सके तथा बजट के सम्बन्ध में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। 90.57 प्रतिशत महिला सरपंच योजना सम्बन्धी क्रियाविधि पर प्रशिक्षण चाहती है। सुशासन के विकास हेतु ग्राम पंचायत सम्बन्धी कार्यों में शिक्षा व साक्षरता सम्बन्धी तथ्यों को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है। अतः 79.71 प्रतिशत महिला सरपंच इन्हें महत्त्वपूर्ण मानते हुए इस बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है क्योंकि शिक्षा व जानकारी के अभाव में ग्राम पंचायत सम्बन्धी नियमों प्रावधानों तथा अधिकारों की

जानकारी नहीं हो पायेगी और न ही वे उनका प्रयोग कर पायेंगी। वही ग्राम पंचायत सम्बन्धी नियमों एवं कानूनों की क्रियाविधि सम्बन्धी जानकारी तथा प्रशिक्षण चाहने वालों का प्रतिशत 49.27 प्रतिशत है, इसके अलावा 47.10 प्रतिशत महिला सरपंच अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण को महत्त्व देती है जबकि 73.91 प्रतिशत महिला सरपंच कागजी कार्यों में होने वाली दिक्कतों से सम्बन्धित समाधान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। कहा जा सकता है कि महिला नेतृत्वकृत्री प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए सजग है जो उनकी जागरूकता को दर्शाता है। 100 प्रतिशत उत्तरदात्री सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण चाहती है जिससे ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता रख सकें एवं भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को कम किया जा सके। 71.01 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच गाँव में ही प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है ताकि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जाने में आसानी हो घर के कार्य भी आसानी से कर सके, 21.73 प्रतिशत महिला उत्तरदात्री तहसील को जबकि 7.24 प्रतिशत महिला उत्तरदात्री जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि रखती है।

कहा जा सकता है कि महिलायें आवास के नजदीक प्रशिक्षण स्थल चाहती है जिससे वे प्रशिक्षण में शामिल होकर अपने कार्यों को सही ढंग से करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा ग्राम पंचायत के कार्यों में सक्रियता से कार्य कर सके।

64.49 प्रतिशत उत्तरदात्री का मानना है कि उन्हें पंचायत की प्रक्रिया तथा उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया अर्थात् प्रशिक्षण दो दिन होनी चाहिए जबकि 73.91 प्रतिशत महिला सरपंच के अनुसार प्रशिक्षण अवधि एक सप्ताह होनी चाहिए जिससे उन्हें सीखने का ज्यादा समय मिल सके, 90.57 प्रतिशत महिला सरपंच के अनुसार प्रशिक्षण अवधि दो सप्ताह अर्थात् पन्द्रह दिन होना चाहिए जिससे उन्हें अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्राम पंचायत संबंधी कार्यों को करने में आसानी हो। जबकि 54.34 प्रतिशत महिला सरपंच

एक महीने का प्रशिक्षण चाहती है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महिलाएँ प्रशिक्षण को अपने कर्त्तव्य पालन में महत्त्वपूर्ण स्थान दे रही है जो कि उनकी जागरूकता का परिचायक है। 79.71 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा है कि महिलाओं को प्राप्त अधिकार उनकी स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त है जबकि 20.28 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा है कि महिलाओं को प्राप्त अधिकार उनकी स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। 90.57 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की कार्यपद्धति तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वन में पर्याप्त सुधार अपेक्षित है, जबकि 7.21 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की कार्य पद्धति तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार अपेक्षित नहीं है। महिला सरपंचों ने कहा है कि भ्रष्टाचार, प्रशिक्षण का अभाव, वित्तीय सक्षमता न होना आदि अनेकों कारण से पंचायत एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वन सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है।

47.10 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों ने ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, 97.82 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों ने जनता की सहभागिता में वृद्धि, 100 प्रतिशत महिला सरपंचों ने शिक्षा का विकास, 52.17 प्रतिशत महिला सरपंचों ने सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार, 54.34 प्रतिशत महिला सरपंचों ने प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता, 44.92 प्रतिशत महिला सरपंचों ने प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था को 71.01 प्रतिशत महिला सरपंचों ने महिलाओं में जागरूकता लाने का सुझाव दिया।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में नवीन ग्रामीण नेतृत्व का अभ्युदय अवश्य हुआ है एवं महिलाओं सहित सभी वर्गों को नेतृत्वकारी स्थिति भी प्राप्त हुई है। किन्तु विडम्बना यह है कि इस नेतृत्व का शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत न्यूनतम है, उनकी मानसिकता व मनोवृत्ति संकीर्ण है, उनमें सतत् जागरूकता, नियंत्रण, निर्देशन व समन्वय की क्षमता तथा कल्याणकारी योजनाओं की यथेष्ट जानकारी का नितांत अभाव है। अतः उभरते हुए नवीन महिला नेतृत्व को

भावी दिशा व दशा को सुनिश्चित करते हुए नेतृत्व सतत् जागरूकता व क्रियाशीलता का परिचय दें, उन्हें अपने दायित्वों को समझना होगा तथा मनोवृत्ति व मानसिकता को विस्तृत करना होगा – अन्यथा अस्थिर, दिशाहीन, अल्पशिक्षित, अनुत्तरदायी व उदासीन नेतृत्व सुशासन एवं ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व के लिए निरर्थक सिद्ध हो सकता है। नेतृत्वकृत्री अशिक्षित एवं कम जागरूकता होते हुए भी ग्राम पंचायत में सूचना के अधिकार की क्रियान्विति में रुचि तो रखती है परन्तु उन्हें न तो निर्णयन प्रक्रिया में स्थान दिया जाता है और न ही प्रशासन का सहयोग जिसके कारण वे पद प्राप्त करने के बावजूद नाममात्र का ही वजूद रखती है उनसे सम्बन्धित सभी अधिकारों का प्रयोग परिवार के सदस्यों तथा अन्य सहयोगीजनों द्वारा किया जाता है जिसके कारण महिला सरपंचों को भ्रष्टाचार तथा अनियमितता की जानकारी होने के बावजूद इनको कम करने में स्वंय को अक्षम पाती है। इसी कारण सूचना के अधिकार को भी आधार नहीं मिल पाता एवं निरन्तर योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।

जो कि सुशासन के विकास में नकारात्मकता को इंगित करता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार योजनाएँ उपलब्ध है। उनके पोषण, रहन–सहन के स्तर में अधिक सुधार हुआ है। पंचायती राज में भूमिहीनों के पास भूमि उपलब्ध है। रोजगार की सुविधा है। ग्रामीण जनता के एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम अपने आपको सक्षम और सफल बनाया है। सभी के लिए रहन–सहन की उन्नत व्यवस्था है। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि का सम्पूर्ण विकास हुआ है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायती राज में सुशासन व्यक्ति–व्यक्ति के लिए सुलभ और सार्थक हुआ है, जिससे सुशासन के विकास एवं उद्देश्य की प्राप्ति को एक नयी दिशा प्राप्त हुई है। सर्वांगीण विकास सम्भव हुआ है। सामन्ती प्रथा से पीड़ित ग्रामीणों को निजात मिली है और आज ग्रामीण वर्ग चहुँमुखी विकास हेतु उन्नमुख है।

प्रस्तुत अध्याय में अजमेर जिले की ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व (महिला) एवं सुशासन के दृष्टिकोणों पर दृष्टिपात करने के पश्चात् सुशासन स्थापित करने हेतु ग्रामीण वर्ग चहुँमुखी विकास हेतु उन्मुख है।

अध्याय षष्ठम :– शोध निष्कर्ष, समस्याएँ एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन से निकलने वाले निष्कर्षों का विश्लेषण करते हुए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राकल्पनाओं की जाँच का प्रयास किया गया है। साथ ही निष्कर्षों के आधार पर महिला सरपंचों के द्वारा सुशासन के विकास के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं एवं निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये है। अन्त में सन्दर्भ ग्रंथ सूची तथा अध्ययन हेतु प्रश्नावली संलग्न की गयी है।

प्राकल्पनाओं का परीक्षण

समाज विज्ञानों में जो सर्वेक्षण किये जाते हैं उनमें प्राकल्पनाओं का विशेष महत्त्व होता है। प्राकल्पना कोई भी अनुभव या सामान्य ज्ञान पर आधारित कल्पना होती है, जिसे इसलिए बनाया जाता है कि उससे ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकें जो तथ्यों के अनुसार हो और जिनका सत्य होना ज्ञात हो। यह विश्लेषण का का एक यंत्र है। गुडे व हाट्ट के अनुसार प्राकल्पना भविष्य की और देखती है। यह तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैद्यता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य सिद्ध हो सकती है और असत्य भी। इसके द्वारा हम शोध के तर्कपूर्ण परिणामों तक पहुँचते हैं। प्राकल्पनाओं की जाँच के द्वारा स्थापित ज्ञान में संशोधन या परिवर्धन करते है तथा भावी शोध के लिए अन्य प्राकल्पनाओं की रचना करते हैं।

प्रस्तुत अध्याय इस शोध के लिए स्थापित प्राकल्पनाओं के क्रमशः सत्यापन से सम्बन्धित है। अतः यह शोध परिणाम है। इसमें सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को तर्कपूर्ण आधार पर प्राकल्पनाओं से सह सम्बन्धित किया गया है। प्रत्येक प्राकल्पना के संदर्भ में यह देखा गया कि वह सत्य, असत्य या आंशिक रूप से सत्य है। फलस्वरूप यह अध्याय प्रस्तुत शोध की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

प्राकल्पना अनुभव पर सामान्य ज्ञान पर आधारित एक ऐसी सोच है जिसके माध्यम से निकर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। प्राकल्पनाएँ शोध कार्य के वे आधार बिन्दु होती है जो अध्ययन को एक रूप एवं दिशा प्रदान करती है। यह शोध पूर्व की कल्पना है जो शोध की तथ्यात्मकता पर आधारित होती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्ररचना हेतु जो प्रारम्भिक प्राकल्पनाएँ बनाई गई थी, उन शोध प्राकल्पनाओं की एक–एक करके जाँच की जा रही है जो निम्नवत् है :–

प्राकल्पना संख्या–1

ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व शासन को सुशासन में परिवर्तन करने हेतु सजग एवं सचेत् है :–

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना संख्या–1 आंशिक रूप में सत्य सिद्ध हुई है जैसा कि तालिका संख्या 5.4, 5.2, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.27, 5.28, 5.32, 5.34, 5.35, 5.38, 5.41, 5.45 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व शासन को सुशासन में परिवर्तित करने हेतु सजगता एवं सचेतता का स्तर ठीकठाक है। उपरोक्त सारणियों से महिला नेतृत्वकृत्रियों की सजगता एवं चेतनता के स्तर में वृद्धि दिखाई देती है साथ ही पारदर्शिता लाने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तथा सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए तत्पर है। अतः सारिणी संख्या 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 द्वारा सुशासन के चरों को लागू करना चाहती है।

निर्वाचित महिलाओं में से अधिकतर महिला सरपंचों ने माना है कि सरकार महिला सशक्तिकरण एवं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके प्रति वह भी सजग एवं सचेत् बनी रहती है। निर्वाचित महिलाओं में से अधिकतर महिला सरपंचों का मानना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रधान, बी.डी.ओ. से सम्पर्क करना होता है। 96.97 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं का महिलाएँ अपनी स्थिति में परिवर्तन को पंचायतों में

आरक्षण को मानती हैं। 86.95 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ भविष्य में राजनीति में आना चाहती है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में महिलाओं का रूझान राजनीति की ओर बढ़ रहा है।

प्राकल्पना संख्या–2

महिला सरपंच ग्राम स्तर पर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में पूर्ण भागीदारी एवं जवाबदेहिता रखती है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना संख्या–2 आंशिक सत्य सिद्ध हुई है। जैसा कि तालिका संख्या 5.5, 5.8, 5.13, 5.16, 5.20, 5.21, 5.22, 5.30, 5.31, 5.37, 5.39, 5.40, 5.41, 5.51 से स्पष्ट होता है कि महिला सरपंच ग्राम स्तर पर नीति निर्माण एवं क्रियान्वन में पूर्ण भागीदारी एवं जवाबदेहिता न रखकर आंशिक रखती है। इसके पीछे प्रमुख कारण 92.02 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं को पंचायतों में होने वाली बैठकों के बारे में जानकारी रहती है। साथ ही शत् प्रतिशत महिला सरपंचों को सरकार द्वारा चलाई जा रही लोककल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी रहती है। जो उनकी नीति–निर्माण एवं क्रियान्वन भागीदारी एवं जवाबदेहिता को प्रदर्शित करता है। 93.47 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ ही सूचना के अधिकार द्वारा पारदर्शिता लाने में उपयोगिता लाने में जवाबदेहिता रखती है। 73.91 प्रतिशत महिला नेतृत्वकृत्रियों का मानना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को कम करने में उपयोगी है। 90.57 प्रतिशत महिला सरपंच अधिकारियों की उपस्थिति नियमित की जाए की पक्षधर है। 61.59 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच योजनाओं के क्रियान्वन में पारदर्शिता रखी जाने, 65.21 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शत् प्रतिशत महिला सरपंच जनप्रतिनिधि का शिक्षित होना अनिवार्य मानती हैं। 90.57 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच शासन से सम्बन्धित जनोपयोगी सूचनाओं को ही प्रदान करने के सम्बन्ध में नीति निर्माण एवं क्रियान्वन में भागीदारी एवं जवाबदेहिता रखती है। शत् प्रतिशत महिला सरपंच शक्तियों का निर्वहन

समय–समय पर निरीक्षण द्वारा करती है। 71.01 प्रतिशत महिला सरपंच शक्तियों का निर्वहन सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क करके करती है। जबकि 47.10 प्रतिशत महिला सरपंचों के द्वारा उनको प्राप्त शक्तियों का निवर्हन परिवार के पुरुषों के सहयोग द्वारा करती है। शत् प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि सुशासन के विकास के लिए ग्राम सभा में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

शत् प्रतिशत महिलाओं ने माना कि महिलाओं के शिक्षित होने से सुशासन के विकास को गति मिलेगी। 100 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच ही ग्राम विकास सम्बन्धी कार्यों में भागीदारिता चाहती है। 76.08 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच ही महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वन में जवाबदेहिता रखतीहै। 92.75 प्रतिशत महिला सरपंचों ने पंचायतों में पानी की व्यवस्था, 95.65 प्रतिशत ने विकास सम्बन्धी कार्य, 90.57 प्रतिशत महिला सरपंचों ने मनरेगा में पारदर्शिता व 96.37 प्रतिशत महिला सरपंचों ने सड़क की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में भागीदारी निभाई। 90.57 प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि उन्होंने अपनी पंचायत में गरीबों की सहायता सम्बन्धी कार्य करवाए, 52.89 प्रतिशत महिला सरपंचों ने सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने की कोशिश की जबकि 46.37 प्रतिशत महिला सरपंचों ने शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं विधार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाने के प्रति भागीदारी एवं जवाबदेहिता रखती हैं। 90.57 प्रतिशत महिला सरपंचों ने प्रस्ताव रखकर, 65.94 ने जनसहयोग लेकर, 13.04 ने अधिकारियों से मिलकर, 27.53 ने दबाव बनाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। अतः स्पष्ट है कि महिला नेतृत्वकृत्री के रूप में महिला सरपंच ग्रामीण स्तर पर नीति निर्माण एवं क्रियान्वन में पूर्ण भागीदारी एवं जवाबदेहिता नहीं रखती है।

प्राकल्पना संख्या–3

ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व को अपने दायित्वों को निर्वाह करने हेतु प्रशासन तंत्र से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होता।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना संख्या–4 सत्य सिद्ध हुई है। तालिका संख्या 5.15, 5.18, 5.49, 5.50, 5.53, 5.69 से स्पष्ट होता है कि निर्वाचित महिलाओं में से 32.60 प्रतिशत महिला सरपंच को पंचायत सम्बन्धी कार्य करवाने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कमीशन देना पड़ता है। 56.52 प्रतिशत महिला सरपंच मानती हैं कि ठेकेदारों द्वारा घटिया काम के लिए धन का दुरुपयोग होता है। 13.04 प्रतिशत महिला सरपंच मानती है कि उनके ऊपर बिचौलियों का दबदबा रहता है। 27.53 प्रतिशत मानती है कि पटवारी व ग्रामसेवक को पैसे देकर कार्य कराना पड़ता है। 9.42 प्रतिशत महिला सरपंचों को किस अधिकारी व्यक्ति से सम्पर्क करे मालूम नहीं होता है। जिस कारण उन्हें कार्य करने में दिक्कत आती है। 21.73 प्रतिशत महिला सरपंचों को कागज भरना नहीं आता व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भी उन्हें सहयोग प्राप्त नहीं होता है। 23.91 प्रतिशत महिला सरपंचों को प्रशिक्षण में जन सामान्य की न होने के कारण समझ में नहीं आता।

प्राकल्पना संख्या–4

स्थानीय नेतृत्व पंचायत स्तर पर सुशासन स्थापित करने के लिए जागरूक एवं दृढ़ संकल्प है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना संख्या–5 सत्य सिद्ध हुई है। जैसा कि तालिका संख्या 5.7, 5.8, 5.9, 5.15, 5.16, 5.22, 5.28, 5.29, 5.31, 5.40, 5.41, 5.43, 5.52, 5.58, 5.59, 5.60 से स्पष्ट होता है कि निर्वाचित महिलाओं में से 94.92 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंचों ने माना कि वो पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेती है। साथ ही महिला विकास के लिए प्रसूति व्यवस्था, आँगनबाड़ी कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जैसे कार्यक्रमों को जानती है। 67.39 प्रतिशत महिला सरपंचों को ग्राम में होने वाले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जानकारी है। जिनमें से पंचायत सम्बन्धी कार्यों के लिए कमीशन धन का दुरुपयोग बिचौलियों का दबदबा, योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वन, आंकड़ों के रख–रखाव में गड़बड़ी, योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों से घूस लेना आदि के सम्बन्ध में

जानकारी रखती है। 90.57 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अधिकारियों की उपस्थिति नियमित करने की पक्षधर है। 61.59 प्रतिशत महिला सरपंच योजनाओं के क्रियान्वन में पारदर्शिता रखने, 65.21 प्रतिशत महिला सरपंच सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने, 97.82 प्रतिशत महिला सरपंच अधिकारियों व महिला सरपंच के बीच समन्वय को बढ़ावा देना चाहती है। 100 प्रतिशत महिला सरपंच महिला जनप्रतिनिधियों के शिक्षित होने पर बल देती है। शत् प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि सुशासन के विकास के लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 90.57 प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि उन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रहती हैं जबकि 88.40 प्रतिशत महिला सरपंचों ने स्वीकारा कि उन्हें विकास अधिकारियों द्वारा भी राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। शत् प्रतिशत महिला सरपंचों ने स्वीकारा कि प्रतिनिधि बनने से पारिवारिक निर्णय शक्ति में अभिवृद्धि हुई है। शत् प्रतिशत महिला सरपंचों ने माना कि महिलाओं के शिक्षित होने से सुशासन के विकास को गति मिलेगी। 100 प्रतिशत महिला सरपंच ग्राम विकास सम्बन्धी कार्यों में भागीदारिता चाहकर सुशासन स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। शत् प्रतिशत महिला सरपंचों ने स्वीकारा कि उनकी ग्राम पंचायत में विकास से सम्बन्धित कार्य होते हैं, जिनमें विकास सम्बन्धी, गरीबों की सहायता संबंधी, शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, बिजली व्यवस्था को विस्तार देना, सूचना के अधिकार को बढ़ावा, महिला एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना चाहती है। 24.63 प्रतिशत महिला सरपंच सार्वजनिक कार्यों के लिए जिला प्रमुख से सम्पर्क करती है। 100 प्रतिशत महिला सरपंच घर जाकर, चौपाल बैठकों में, परिवारजन के माध्यम से जन सामान्य से सम्पर्क करती है। 55.07 प्रतिशत महिला सरपंचों ने ग्राम पंचायत संबंधी कार्यों को करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 64.49 प्रतिशत महिला सरपंच दो दिन का ही प्रशिक्षण चाहती है। 79.77 प्रतिशत महिला सरपंच मानती हैं। महिलाओं के लिए क्रियान्वित योजनाएँ उनकी स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त है। 90.57 प्रतिशत

महिला सरपंच पंचायत राज व्यवस्था की कार्य पद्धति में पर्याप्त सुधार चाहती है। 97.82 प्रतिशत निर्वाचित महिला सरपंच जनता की सहभागिता में वृद्धि से सुशासन के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण मानती है।

सुशासन की क्रियान्विति के समक्ष चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात् स्त्री का मानव सृष्टि में ही नहीं वरन् समाज निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या महिलाएँ है। स्थानीय स्वायत्त शासन में प्राचीन काल से ही महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी, किन्तु कालान्तर काल में महिलाओं की यह भागीदारी लगभग समाप्त सी हो गई। स्वतन्त्रता संघर्ष के क्रम में राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया में महिलाओं के महत्त्व को समझा गया और शुरू से ही उन्हें अहम् स्थान मिला। महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में उचित भागीदारी के लिए सन् 2008 में 50 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप पंचायतीराज में पुरुषों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच स्त्रियों ने अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया है। स्त्रियों को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर नीतिनिर्धारण व निर्णय निर्माण में प्रशासनिक एवं पारिवारिक समस्याओं का व्यवहारिक तौर पर सामना करना पड़ता है। प्राचीन काल के समाजों में समस्या की अवधारणा अधिक स्पष्ट नहीं थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में ही थी। उनके सामाजिक और मानवीय समस्याओं की प्राकृतिक अथवा दैनिक इच्छा मानकर ही उनकी व्याख्या कर ली जाती थी। निर्धनता, अनेक प्रकार के अपराध आदि भाग्य या ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिए जाते थे। भारत में अनेक प्रथाएँ एवं रुढ़ियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक एवं धार्मिक समस्याओं की जन्मदात्री रही है। लेकिन अब ऐसा स्वीकार किया जाता है कि हमारी अनेक समस्याएँ ईश्वरीय देन न

होकर मानवीय अथवा सामाजिक है, जिनका निराकरण भी मानव समाज के पास ही है, **रिचर्ड फुल्लर एवं रिचर्ड मेयर्स** के अनुसार सदस्यों के व्यवहार के जिन नमूनों अथवा परिस्थितियों को किसी समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हो वे ही सामाजिक समस्याएँ है।''

अर्थात् सामाजिक समस्याएँ ऐसी स्थिति हैं जिसे समाज का बड़ा अंश अथवा जागरूक सुधारक वर्ग समस्या मानता हों अथवा जनचेतना व आक्रोश की दृष्टि से वह स्थिति हो परम्परागत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों व आदर्शों के लिए खतरे का संकेत समझी जाती हो।

भारतीय लोकतंत्र के लिए सुशासन एक क्रांतिकारी एवं व्यवहारिक कदम है, जिसने जनता को शासन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने एवं शासन में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन में पंचायती राजव्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने से जुड़े लोग, शासन में सहभागी होकर जनकल्याणकारी योजनाओं का तथा कार्यक्रमों का लाभ पा सकने में सक्षम एवं जागरूक हो रहे हैं। इससे शासन की व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हो रही है। फलस्वरूप पंचायती राजव्यवस्था सुशासन की और अग्रसर हो रही है, जो कि जनहितकारी एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए अति आवश्यक है।

महिला नेतृत्व एवं सुशासन के विकास के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की महिलाओं के निम्न स्तर, पुरुष प्रधान समाज, सामंती प्रथाओं एवं मूल्यों, जातीय आधार पर घटित सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा और अत्यधिक दरिद्रता के पर्याय के रूप में देखा जाता रहा है। जब परिवार एवं समाज पिछड़ा हो तो उसका सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। राज्य में प्रतिकूल लिंगानुपात 926/1000, (जनगणना 2011 के अनुसार) समाज में महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक दशा एवं उनकी स्थिति का परिणाम है। महिला शिशु मृत्युदर, महिलाओं की अस्वस्थता एवं मृत्यु, निम्न जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक पहुँच एवं उपलब्धि, कार्य में सहभागिता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, अपर्याप्त पोषाहार एवं उपेक्षित राजनीतिक नेतृत्व तथा

अन्य विकास सूचक बिन्दु समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति को निर्दिष्ट करते हैं। यह सर्वविदित है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की महिलाएँ व बालिकाएँ निरक्षरता (पुरुष साक्षरता 80.51 प्रतिशत रहा महिला साक्षरता 52.66 प्रतिशत) खराब स्वास्थ्य, दमन, सामाजिक भेदभाव, दरिद्रता व निर्भरता के भार से अधिक दबी हुई है। नवीन सामाजिक मूल्यों, प्रभावी कानून एवं प्रवर्तन प्रथाओं के अभाव में राजस्थान की महिलाओं को एक गम्भीर संक्रमण काल से गुजरना पड़ रहा है।

महिला की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत समृद्ध तथा मजबूत समाज की उन्नति का द्योतक होती है। परन्तु पुरुष प्रधान संस्कृति एवं सामाजिक संरचनायें ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावित करती है। जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब भी कुछ परिवार अपनी महिलाओं को पंचायतों में कार्य करने की स्वीकृति नहीं देते, क्योंकि वे महिला का स्थान घर की चारदीवारी में समझते हैं, पंचायत में नहीं। पारम्परिक परिवार महिलाओं की स्वतंत्रता को उचित नहीं समझतें, जोकि सुशासन के विकास के लिए घातक है। चूंकि महिलायें विश्व जनसंख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन राजनीति में उनकी स्थिति निम्न रही है। भारत में महिला नेतृत्व का यदि विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महिला नेतृत्व तथा भागीदारीता नगण्य है। स्थानीय शासन में यद्यपि महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने से सहभागिता के अवसर प्राप्त है परन्तु पंचायत के क्रियाशील सरपंच के रूप में नहीं, न ही वह ग्राम पंचायत सम्बन्धी कार्यों में हिस्सा लेती हैं और न ही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। राजस्थान एवं उसके अन्य जिलों में अब भी महिला प्रतिनिधियों के पति ही उनका काम संभालते है। इस कारण उनके लिए सरपंच पति या प्रधान पति जैसे शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं। ये लोग ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिला का सारा कार्य करते हैं। उनका कार्य चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही प्रारम्भ हो जाता है, वे ही चुनावों में वोट माँगते हैं

प्रचार करते हैं, एंजेट बनवाने एवं मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते है। महिला प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाती है। उनकी तरफ से सारे वादे एवं योजनायें उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं। सच तो यह है कि मतदाता भी उनके पति या सहयोगी सदस्य की साख, योग्यता, ईमानदारी एवं राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मतदान करते हैं। ये पति ही जीतने के बाद महिला को बैठकों में साथ ले जाते हैं। उनके हाँ या ना के आधार पर ही महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सुशासन के विकास के क्रियान्वयन में बाधायें डालते हैं। यहीं नहीं बल्कि समसामयिक परिस्थितियाँ भी महिला प्रतिनिधियों के भूमिका निर्वाह के बाधक कारक एवं समस्याओं के रूप में विद्यमान हैं।

इसी के साथ गाँवों में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त है, जिसके कारण गाँवों में सुशासन के विकास का उचित वातावरण नहीं बन पाया है। योजनाबद्ध विकास के 66 वर्षों के सतत् प्रयासों के बाद भी गाँवों को शहरों के बराबर नहीं ला पाए हैं। इससे गाँवों के लोगों का पलायन शहरों की और हो रहा है। इसके लिए गाँवों में पूँजी का अभाव, सुशासन के विकास के लिए स्थिर उचित वातावरण की कमी आदि अनेक कारण जिम्मेदार है किन्तु इनमें से महत्त्वपूर्ण है – गाँवों में फैली सामाजिक, कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, नशाखोरी, रुढ़िवादिता आदि। इन कुरीतियों के कारण ग्रामवासियों को विकास योजनाओं का वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सुशासन के विकास के समक्ष चुनौतियाँ

(1) विभिन्न घटकों का क्षमता संवर्धन आवश्यक :– पंचायतीराज संस्थाओं में किसी भी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान नहीं है और न ही इन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का सुनियोजित प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन किया जाना समय की एक बड़ी आवश्यकता है।

(2) मतदाताओं की उदासीनता और क्षीण सहभागिता :– पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ और प्रभावी कार्यकरण में बड़ी बाधा मतदाताओं की उदासीनता और इन संस्थाओं के क्रियाकलापों में उनकी क्षीण सहभागिता है। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत प्रायः 45 से 70 के मध्य रहता है। औसतन 40 प्रतिशत मतदाता इन संस्थाओं के निर्वाचन के निर्वाचन की प्रक्रिया के चरण के प्रति ही उदासीन पाए गए। यही नहीं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठकों में मतदाताओं का कोरम, जो राजस्थान में केवल 1/10 है, भी पूरा नहीं हो पाता है। राजस्थान सहित पूरे देश में यह आम धारणा है कि धरातल पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना को साकार करने के लिए अभिकल्पित 'ग्रामसभा' की बैठकों में सक्रिय सहभागिता तो दूर अपेक्षित गणपूर्ति भी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि पंचायतीराज की ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर शासन का प्रभावी उपकरण नहीं बन सकी है।

(3) योजनाओं के लाभार्थी चयन में गड़बड़ियाँ :– भारतीय प्रशासन में पंचायतीराज संस्थाओं में सुशासन की प्राप्ति की दिशा में एक समस्या यह है कि ग्राम सभा की बैठकों के प्रति आम मतदाताओं की उदासीनता का दुष्परिणाम यह होता है कि पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ियाँ होती है। वास्तविक हकदार की अपेक्षा पक्षपाती आधार पर सरकारी लाभ अवांछित लोगों को दे दिया जाता है, बी.पी.एल. परिवारों के रूप में लोगों का चयन हो जाता है, त्रुटिपूर्ण पट्टे जारी हो जाते है और बाद में इन्हीं स्थितियों के कारण स्थानीय स्तर पर विग्रह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(4) राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भरता :– सुशासन की प्राप्ति हेतु एक बड़ी समस्या यह रही है कि देश की पंचायतीराज संस्थाएँ संविधान संशोधन के पश्चात् भी राज्य सूची का एक विषय होने के नाते अभी भी अपने कार्यकरण में राज्य सरकारों पर निर्भर है।'' ये संस्थाएँ अपने कार्यकरण के विधायी परिवेश और उनके अन्तर्गत निर्मित प्रशासनिक नियम तथा उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तीय

संसाधन और कर्मचारियों के लिए पूर्णतः राज्य सरकारों की ओर निर्भर रहते है। इन संस्थाओं के कार्यकरण के आंगिक संरचनात्मक सम्बन्धों का परिवेश भी ऐसा है जिसमें ग्राम पंचायतें अपने कार्य संचालन के लिए एक निर्णायक सीमा तक पंचायत समिति पर और पंचायत समितियाँ अपने कार्यकरण के अन्यान्य पक्षों पर दिशा निर्देश के लिए जिला परिषद पर निर्भर करती है।

पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी उच्चतर संस्थाओं के कार्य संचालन के लिए पदासीन निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सरकारी अधिकारियों के पास प्रायः इतना समय ही नहीं होता कि वे अधीनस्थ संस्था द्वारा चाहे जाने पर उनका सामयिक मार्गदर्शन कर सके। पंचायतों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव महिनों तक पंचायत समिति में स्वीकृति के लिए लम्बित रहते हैं और पंचायत समितियाँ अपनी स्वाभाविक निधियों के लिए जिला परिषद का मुँह ताकती रहती है। इन संस्थाओं के लेखा अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी संस्थाओं की टिप्पणियाँ इस बात की साक्षी है कि अधीनस्थ संस्थाओं को समय पर मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध न होने के कारण वे संस्थाएँ अपने अनिवार्य दायित्वों का निष्पादन करने में प्रायः विफल रहते है।

(5) वित्तीय संसाधनजन्य निर्बलता :– पचांयतीराज में संस्थाओं में सुशासन प्राप्ति की दिशा में एक बड़ी समस्या यह रही है कि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् जिस देश में जिस रूप में पंचायतीराज संस्थाएँ सशक्त होकर उभरी है उसकी तुलना में वित्तीय संदर्भ में ये संस्थाएँ सबल नहीं बन पाई है। पंचायतीराज की ये संस्थाएँ अपने वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर अत्यधिक निर्भर है। इन संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के आवंटन के संदर्भ में संविधान तो मौन ही है। राज्य वित्त आयोगों द्वारा भी इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में निर्णायक सुधार नहीं हो सका है। परिणामतः ये संस्थाएँ अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु आवश्यक विधियों के लिए पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करती है। इन संस्थाओं को विकास योजनाओं के विभिन्न मदों के अंतर्गत जो भी सहायता राशि स्वीकृत की जाती है उसकी प्राप्ति उन्हें समय पर नहीं होती। प्रायः यह देखा गया है कि आवंटित राशि

वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रिमास में और कभी कमी तो वह अंतिम माह में उस संस्था तक पहुँच पाती है जिससे नियमों के अनुसार उसका सम्पर्क व्यय करने में उन्हें कठिनाई होती है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि से स्थायी अधोसंरचना के विकास की तुलना में व्यैक्तिक लाभार्थियों की परियोजना पर अत्यधिक बल दिया जाता है जो राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। यह स्थिति इन संस्थाओं के लोकतांत्रिक रूप से पल्लवित होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।

निरंजन मिश्र ने अपनी पुस्तक 'भारत में पंचायतीराज' में पंचायतीराज संस्थाओं के वित्तीय संकट के बारे में टिप्पणी की है कि वह भी इस संदर्भ में पर्याप्त प्रासंगिक है। ''अधिकांश राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब है। कुल मिलाकर ये राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पर जिन्दा है। बस राज्य सरकार के अनुदान का ही इंतजार करती रहती है। यह राशि भी केवल उतनी ही होती है कि वे अपने ढाँचे को बरकरार रख सके। विभिन्न राज्यों में जो करारोपण के जो प्रावधान है उन्हें सही अर्थों में कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। कर वसूली की स्थिति तो और भी खराब रही जो औसतन 30.75 प्रतिशत रही। अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार पंचायतों की वार्षिक औसत आय मात्र 5000 रुपये थी। जनमानस और करदाता के मन में सत्ता को जो मय केन्द्र या राज्यों के करों की अदायगी के बारे में होता है, वह पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं है।

(6) प्रतिनिधियों की मानसिकता में परिवर्तन न होना (संकीर्ण मानसिकता) :– सुशासन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक बड़ी समस्या यह है कि राजस्थान में राज्य शासन से लेकर पंचायतीराज के संस्थाओं के समस्त प्रतिनिधियों में यह मानसिकता ही विकसित नहीं हो सकी है कि धरातल पर कार्यरत लोकतंत्र की इन संस्थाओं को यदि मजबूत बनाना है तो इनकी स्वयं की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने जरूरी है। अर्थात् ग्राम पंचायतें सम्पूर्ण ग्राम की

सामूहिक सामाजिक समीक्षा के आधार पर न्यूनतम कर आरोपित करने के लिए पहल क्यों नहीं कर सकी।

(7) पारदर्शिता के लिए ई–गवनैन्स :– सुशासन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक बड़ी समस्या यह है कि ई–गवर्नेन्स नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह प्रशासन का यह ऐसा स्तर है जहाँ न केवल देश की 60 प्रतिशत आबादी दूर–दराज गाँवों में निवास करते है। ग्राम पंचायतों में ई–गवर्नेन्स के विस्तार के इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उन समस्याओं को चिन्हित करने और दूर करने का संकल्प निहीत है जो गाँव के सार्थक विकास में अभी भी बाधा नहीं हुई है। इनमें मुख्य है – विश्वस्त संचार संरचना के अभाव, नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने में विलम्ब, ग्राम पंचायतों के स्तर पर अत्यन्त कम आमदनी और योजनाओं के प्रबोधन के लिए सक्षम तंत्र की अनुपस्थिति आदि।

(8) भ्रष्टाचार :– सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। भारत में व्याप्त उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को सुशासन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रमुख बाधा के रूप में देखा गया है। हालांकि मानव का लालची स्वभाव स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का प्रेरक तत्व तो है ही, लेकिन भारत में इस समस्या के बढ़ते हुए रूझान में जिन कारकों ने सहायता पहुँचाई है वे है संरचनात्मक प्रलोभन एवं भ्रष्टाचारियों को दण्डित करने की कमजोर प्रणाली। कमान और नियंत्रण की जटिल एवं अपारदर्शी प्रणाली, सेवा प्रदाता के रूप में सरकार का एकतंत्र, अविकसित कानूनी संरचना, जानकारी की कमी तथा नागरिकों के अधिकारों के बारे में कमजोर संकल्पना ने भारत में भ्रष्टाचार के फैलने में आग सेंधी का काम किया है। सरकार द्वारा निर्धारित लेखा एवं वित्तीय नियमों के ज्ञान के अभाव में इन संस्थाओं में कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारी मिलीभगत कर निधियों का दुरुपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में लोकतंत्र की ये आधारभूत संस्थाएँ अपने धरातल पर ही विषाक्त आचरण की शिकार हो जाती है। इन संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि कभी–कभी इतने कम पढ़े–लिखे होते हैं कि उनकी इस न्यूनता का कतिपय चालाक कर्मचारी

पूरा फायदा उठाते हैं और अन्ततः अंकेक्षण की प्रक्रिया में निधियों के दुरुपयोग का समूचा दायित्व इन कम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों पर आ पड़ता है। राजस्थान के तृतीय वित्त आयोग ने इस दिशा में इन संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रति माह मानदेय देने एवं जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रति मीटिंग भत्ता दिये जाने की जो अनुशंसाएँ की है वे इतनी कम है कि कदाचित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि अपना वास्तविक खर्च निकालने के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों की सहायता से हेराफेरी करने के लिए विवश होते हैं।

(9) शिथिल औपचारिक नियंत्रण :– पंचायतीराज संस्थाओं में सुशासन प्राप्ति की दिशा में एक समस्या इन संस्थाओं का शिथिल औपचारिक नियंत्रण है। ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित रहने के बावजूद व्यवहार में अधिकांश ग्राम समाजों का कोरम तक पूरा नहीं होता और कागजों पर सभी ग्राम सभाएँ अपनी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई दर्ज करा दी जाती है। अंकित करवाती है।

(10) राजनीति का अपराधीकरण :– राजनीति प्रक्रिया का अपराधीकरण तथा राजनेताओं, लोकसेवकों और व्यावसायिक घरानों के बीच अपवित्र गठजोड़ लोकनीति के निर्धारण और शासन पर घातक असर डाल रहा है। भारत के लोकतांत्रिक शासन की ज्यादा गंभीर खतरा अपराधियों और बाहुबलियों से है, जो राज्य की विधानसभाओं और देश की लोकसभा में अच्छी खासी संख्या में घुसने लगे है। जो कि सुशासन के लिए घातक है।

(11) पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों का न होना :– पंचायतीराज व्यवस्था में सुशासन की प्राप्ति हेतु एक बड़ी चुनौती यह है कि राज्य सरकारों ने इन संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में शक्ति एवं कर्मचारी हस्तांतरित नहीं किए है। जिला स्तर के अधिकांश कार्य जिलाधीश के नियंत्रण में ही है। अर्थात् राज्य शासन तंत्र के कर्मचारी चुनी हुई पंचायतों के अधीन कार्य करने की इच्छा नहीं रखते।

(12) संरचना से सम्बन्धित :– पंचायतीराज संस्थाओं में सुशासन के मार्ग में एक बड़ी समस्या इनकी संरचना से सम्बन्धित भी है जैसे ''इनके स्तरों के मध्य आपसी सम्बन्धों की, कुछ संस्थाओं की अलोकतांत्रिक रचना, राजनीतिक पक्षपात तथा शासन व जनता के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का आदि इसके मार्ग में समस्या है।

(13) अप्रशिक्षित कार्मिको का होना :– पंचायतीराज व्यवस्था में सुशासन के मार्ग में बड़ी समस्या यह भी है कि इन संस्थाओं के अधीन कार्य करने वाले कार्मिक इस विधा में अप्रशिक्षित होते हैं जिससे कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।

(14) ग्राम पंचायतों का हावी होना :– ग्राम सभाओं की सुशासन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है किन्तु ये देखा गया है कि ग्राम सभाओं द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं अक्सर वे ग्राम पंचायतों की इच्छानुरूप ही होते हैं। **मोहिंदर सिंह के अनुसार** प्रभावी वर्ग ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों को प्रभावित करते है तथा विभिन्न राज्यों में ग्राम सभा और सर्तकता समितियाँ ग्राम पंचायतों की कार्य शैली पर समुचित निगरानी नहीं रख पाती है। कई राज्यों में तो ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें भी नहीं हो पाती। पश्चिमी बंगाल में पंचायतों की पारदर्शिता पर किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ग्राम सभाओं में उपस्थिति कम होने का सबसे मुख्य कारण यह होता है कि पंचायतें, लोगों को पंचायतों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए रुचिशील बनाने में रुचि नहीं रखती। स्थानीय संस्थाओं में कम जन सहभागिता निश्चित ही पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को प्रभावित करती है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सुशासन के विकास के कार्य सम्पादन में तथा सक्रिय भागीदारी निभाने में समस्याएँ

1. वित्त की कमी – महिला सरपंचों को निधि के स्रोतों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल अपने पति द्वारा बतायी गयी योजनाओं के बारे में

मालूम था। सरपंचों का कहना था कि वित्त की कमी के कारण बहुत–सा कार्य या तो अधूरा रह जाता है या हो नहीं पाता है।

2. गुटबन्दी :– महिला सरपंच भी इस बारे में चिन्तित हैं तथा उनकी शिकायत है कि सदस्यों के समर्थन के बिना प्रायः कोई भी गतिविधि सफल नहीं हो पाती तथा विपरित समूह मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होने देते तथा सरपंच के समूह के सदस्यों के कार्य में रुकावट डालते हैं।

3. नौकरशाही बाधा :– सरपंचों का कहना था कि पंचायत के क्रियाकलापों में नौकरशाही का हस्तक्षेप भी रुकावट डालने में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। उदाहरण के लिए एक महिला उत्तरदाता का कहना था कि अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार ब्लॉक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) को है। सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली लाभकारी योजनाओं का लाभ जिन व्यक्तियों को देना है, पंचायत केवल उन्हीं के नाम सुझाती है। इसके पश्चात् पंचायत से अन्तिम निर्णय करने में सलाह नहीं ली जाती है कि किसे लाभ प्राप्त होना चाहिए और किसे नहीं।

4. राजनीतिक हस्तक्षेप :– गुटबन्दी के कारण जो समूह बन जाते हैं उनके विपरीत समूह विरोध प्रकट करने के लिए राजनीतिक दलों, मंत्रियों, विधायकों का हस्तक्षेप का प्रयोग करते हैं।

5. सरकारी कार्यालयों के सहयोग में कमी :– सरपंच प्रतिनिधियों ने सरकारी सहयोग की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनमें से एक ने कहा कि उदाहरण के लिए यदि हम नशा मुक्ति के लिए आन्दोलन करते हैं तो सरकार की ओर से हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता।

6. अशिक्षा/जानकारी का अभाव :– ज्यादातर महिला सरपंचों ने अशिक्षा/जानकारी के अभाव को राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा माना है। इनका कहना है कि केवल पढ़ी–लिखी महिलाओं को ही समर्थन प्राप्त होता है। अशिक्षित महिलाओं से बिना सच बताये किसी भी कागज पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये

जाते हैं, क्योंकि वे अशिक्षित हैं। उन्हें बातचीत करने में हिचक महसूस होती है तथा सरकारी कार्यालयों तक पहुँचने व कार्य में कठिनाई आती है। एक महिला पंच का कहना था कि कोई भी सूचना यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में टंगी या लिखी होती है तब भी वह अशिक्षित होने के कारण पढ़ नहीं पाती जिसके कारण उन्हें ग्लानि का अनुभव होता है। अशिक्षित होने के कारण ही उनमें जानकारियों का अभाव बना रहता है।

7. घरेलू उत्तरदायित्व :– निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का कहना था कि सभी घरेलू उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। भले ही उन्हें पंचायत के किसी भी कार्य के लिए जाना हो।

कुछ सरपंच महिलाओं का कहना था कि जब वे घर से बाहर चली जाती है तो घर का कार्य रह जाता है तथा बच्चे भूखे रहते हैं। कुछ सरपंचों का कहना था कि वे घरेलू उत्तरदायित्वों से मुँह नहीं मोड़ सकती। महिला ही घर की देखभाल कर सकती है पुरुष नहीं। परिणामस्वरूप वे कई बार पंचायतों की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाती। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में कार्यों का निष्पादन उनके लिए मुश्किल हो जाता है।

8. घरेलू विवाद :– नशे के कारण पति कई बार महिलाओं को पीटते हैं जिससे घर में कलह एवं अशान्ति का वातावरण हो जाता है। परिणामस्वरूप वे अपनी भूमिका का निर्वाह करने में असमर्थ रहती है। ऐसा प्रायः (ग्राम पंचायत) स्तर पर देखने को अधिक मिलता है।

9. सामाजिक व्यवहार और पुरुष प्रधानता :– ग्राम पंचायत की महिला सरपंचों को अकेले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी पंचायत कार्य के लिए वे पूरी रात घर से बाहर नहीं गुजार सकती। लोग उसके घर से बाहर रह जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। महिलाएँ पुरुषों के साथ बैठने में शर्म महसूस करती हैं। कई महिलाएँ घूंघट में रहती हैं। सरपंच महिलाओं का कहना था कि सामान्य सीट से महिला चुनाव लड़े ऐसा लोग अच्छा नहीं मानते, परन्तु आरक्षित

सीट की वजह से उन्हें चुनाव लड़वाया जाता है। महिलाएँ अपने पति का नाम नहीं लेती। पर्दा प्रथा, शर्म आदि कुछ तथ्य महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं।

10. राजनीतिक अनुभव की कमी :– महिला सरपंचों ने यह माना कि उनको राजनीति का अनुभव नहीं है। इसलिए न उनको मीटिंग करने की जानकारी है और न ही विकास सम्बन्धी कार्यों की। अनुभव न होने के कारण वे अपने जनप्रतिनिधि सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पूर्ण पालन नहीं कर पाती एवं दूसरों पर उनकी निर्भरता रहती है।

11. रुचि का अभाव :– पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में इन संस्थाओं के प्रति रुचि नहीं पायी गई, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, वार्ड सदस्यों एवं रिश्तेदारों के दबाव के कारण राजनीति में प्रवेश लिया है। वास्तव में उनकी व्यक्तिगत रुचि नहीं होने से वे अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पा रही हैं। उनका इन संस्थाओं में प्रवेश परिवार की महत्त्वाकांक्षा को पूरा करना है।

12. वित्तीय संसाधनों का अभाव :– पंचायतों में वित्त की कमी के कारण गाँव में विकास एवं लोगों के कल्याण की गतिविधियों को संपादित करने में कठिनाइयाँ अनुभव की जाती हैं। ग्राम के विकास कार्यक्रम कम होने से महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व को नकारा जाता है। वित्त की कमी से ग्राम के विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं।

13. पर्याप्त और उचित अधिकारों का अभाव :– निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पास शक्तियों के अभाव में वे महत्त्व के कार्य करने में असमर्थ हैं। उनकी भूमिका केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के निरीक्षण तक ही सीमित है।

14. सरकारी विभागों पर निर्भरता :– निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का मानना है कि वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सरकारी विभागों पर निर्भर रहती

है। चूँकि अनुदान की राशि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दी जाती है अतः सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते–काटते कई योजनाएँ क्रियान्वयन में अधूरी ही रह जाती है।

15. अधिकारों का हस्तान्तरण :– अधिनियम में निहित प्रावधानों के आधार पर भी सत्ता का पूर्णरूपेण हस्तान्तरण पंचायतों को नहीं किया गया है जिससे निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बखूबी अपना कार्य सम्पादन नहीं कर पाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारतीय संविधान में अनु. 243जी के अनुसार अतिरिक्त संशोधन भी किया जाए और यह प्रावधान किया जाए कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन गाँव में किया जाता है तो उससे जुड़े पूरे अधिकार, वित्तीय साधन एवं कर्मचारियों या अधिकारियों पर नियन्त्रण ग्राम पंचायतों को ही दिया जाना चाहिए। उन विषयों में राज्य सरकार के किसी भी विभाग को दखल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने से उनकी राजनीतिक सहभागिता में निःसन्देह विस्तार हुआ है, किन्तु राजनीति में उनकी प्रभावी एवं सार्थक भूमिका में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारकों में भी परिवर्तन के लिए समानान्तर प्रयास किये जाए जो परम्परागत रूप से महिलाओं की स्वतन्त्र एवं सशक्त भूमिका को बाधित करते रहे हैं।

महिला प्रतिनिधियों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सुशासन स्थापित करने हेतु सुझाव

महिला नेतृत्व के माध्यम से सुशासन के विकास को बढ़ावा देने हेतु समग्र रूप से महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ महिला नेतृत्वकृत्रियों द्वारा किस प्रकार सुशासन के विकास को अधिक गति प्रदान की जा सकती है, हेतु सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस प्रकार है :–

(1) शिक्षा का प्रसार एवं जागरूकता :– लोकतंत्र की भव्य इमारत का आधार स्वस्थ लोकमत होता है। इसलिए प्रबल एवं सजग लोकमत होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। साक्षरता महिला नेतृत्व एवं सुशासन के विकास को सफल बनाने के लिए जरूरी कारक है। शिक्षा द्वारा चेतना, जागृति, मानसिक, स्तर का विस्तार होता है। प्लेटो ने भी कहा है कि 'शिक्षा मानसिक व्याधियों को दूर करने का मानसिक उपचार है।' पंचायती राज एवं सुशासन के विकास की असफलता में एक अशिक्षा एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम यदि महिला नेतृत्वकृत्री शिक्षित हो जाएगी तो रुढ़िवादिता, अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता आ जाएगी। ग्रामीण महिला नेतृत्व के विकास तथा ग्रामीण जनता को सुशासन के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार ग्राम स्तर पर होना चाहिए। यद्यपि इस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है, किन्तु इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। शिक्षा के विकास के परिणामस्वरूप ही ग्रामीण जनता में जागरूकता आयेगी, विशेष रूप से महिलाओं में शिक्षा से उनकी राजनीतिक एवं ग्रामीण सुशासन नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।

(2) पुरुष मानसिकता में बदलाव :– पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुरुष महिलाओं को शारीरिक एवं दैहिक दृष्टि से हीन मानते हैं तथा पुरुष वर्ग में अहं बना हुआ है कि धर के बाहर का कार्यक्षेत्र महिलाओं की प्रकृति एवं क्षमता के अनुकूल नहीं है। अतः राजनीति में पुरुषों का ही अधिकार है। इस सोच में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है तभी महिलाओं द्वारा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य किया जा सकेगा। यद्यपि समाज में धीरे–धीरे परिवर्तन की शुरूआत हो चुकी है एवं महिलायें राजनीति में भागीदार हो रही है किन्तु पुरुषों की सोच में पर्याप्त परिवर्तन अभी भी परिलक्षित नहीं होता जिसको आधार रूप में प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सरकारी प्रयासों द्वारा प्रचार प्रसार से शिक्षित

एवं सुसंस्कारित समाज की स्थापना हो सकेगी और सूचना के अधिकार से सम्बन्धित जागरूकता, जानकारी एवं प्रयोग को बढ़ावा देकर सुशासन की स्थापना करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

(3) सामाजिक चेतना में वृद्धि :– महिलाओं को चार दीवारी एवं घूंघट की परम्परागत प्रथाओं से मुक्ति पाने एवं समाज में स्थान सुदृढ़ करने हेतु स्वयं में चेतना एवं जागरूकता लानी होगी। समाज के लोगों में महिलाओं को स्वतंत्रता एवं सम्मान देने हेतु जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए उन्हें यह समझाया जाय कि यदि महिलाओं को स्वतंत्रता एवं सम्मान नहीं मिलेगा और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक समाज का विकास भी सम्भव नहीं है। इसी प्रकार महिलाओं को भी अपने सम्मान एवं अधिकार के लिए आगे आने हेतु सजग व सचेत किया जाये। क्योंकि जब तक महिलायें स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगी तब तक समाज में उनके स्थान को महत्त्वपूर्ण एवं सम्मानजनक बनाने का हर प्रयास अधूरा ही रहेगा। अतः महिलाओं में चेतना विकसित करना अति आवश्यक है। जिससे वे सबल एवं सक्षम बन सकें एवं सूचना के अधिकार का प्रयोग कर अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सके।

(4) महिला नेतृत्वकृत्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता :– महिला नेतृत्वकृत्रियों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता का आधार आर्थिक एवं बौद्धिक स्वतंत्रता से ही हो सकती है। अतः जब तक महिला नेतृत्वकृत्री आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक किसी भी क्षेत्र में खासकर प्रतिनिधि पद में स्वतंत्रता का उपयोग, सुशासन के विकास की दिशा में प्रयास तथा समाज में सम्मान एवं समान स्थान प्राप्त नहीं कर सकती है। अतः महिलाओं की राजनीतिक नेतृत्व में वृद्धि हेतु आवश्यक है कि उन्हें न केवल रोजगार अवसर एवं स्वतंत्रता प्रदान की जाए वरन् धन के संरक्षण एवं प्रयोग की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। साथ ही महिला नेतृत्वकृत्रियों में आर्थिक स्वालम्बन की भावना विकसित करने हेतु निश्चित एवं पर्याप्त वेतन की सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके।

(5) महिला नेतृत्वकृत्रियों हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण :– शैक्षिक योग्यता का अभाव महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण सुशासन के विकास की सबसे विकट समस्या है। महिला नेतृत्वकृत्रियों हेतु केवल साक्षर होना ही योग्यता नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको लगभग माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किया हुआ होना आवश्यक होना चाहिए, ताकि वे पंचायत एवं सुशासन के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों, योजनाओं की कानूनों, नियमों की पेचीदगियों को समझ सके। महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं सम्बन्धित कानूनों के साथ, सूचना के अधिकार, पंचायत सम्बन्धी अधिकार व शक्तियों, योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता को कम करने में भी शिक्षा द्वारा सहायता मिलेगी।

(6) महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने हेतु पारिवारिक सहयोग एवं सामंजस्य का विकास :– परिवार समाज की महत्त्वपूर्ण इकाई है और महिलाएँ परिवार की धुरी होती है तथा मानव जीवन के सफल एवं सुचारू संचालन में महिला एवं पुरुष दोनों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दायित्वों को समान रूप से वहन करें। पारिवारिक दायित्व के भार के कारण महिलाओं के पास राजनीतिक कार्यों के लिए समय का अभाव रहता है। अतः बच्चों की पालन पोषण की सुविधा आदि के संदर्भ में सरकार द्वारा व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए तथा अन्य कार्यों द्वारा न केवल सहयोग किया जाना चाहिए वरन् महिलाओं को आवश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(7) महिला नेतृत्वकृत्रियों की निर्णय लेने की क्षमता का विकास एवं आमजन की सहभागिता :– महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चहुँमुखी विकास किया जाये। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाया जायें। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। पुरुषों की पारम्परिक सोच में बदलाव लाना होगा। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है अर्थात् महिला सरपंचों, सदस्यों तथा अन्य प्रतिनिधियों को पुरुष प्रधान राजनीतिक

व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए उनके समानान्तर खड़ा कर दिया गया है। अतः महिला प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाने के लिए स्थानीय लोग, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें, मीडिया, प्रशासन तथा सरकारी सभी की सहायता की आवश्यकता होगी। महिला सरपंचों को भी छोटे–छोटे समूह बनाकर विभिन्न मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श करना होगा। जिससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा व घर के काम–काज के साथ ही वे पंचायतों की बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने, उनका क्रियान्वन करने, निर्णय लेने एवं उन्हें लागू कराने तथा सुशासन के विकास एवं सूचना के अधिकार के क्रियान्वन एवं उपयोगिता को बढ़ाने में सक्षम होंगी। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका को बढ़ाने हेतु महिला प्रतिनिधियों को स्वयं जागरूक होना होगा तथा जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हें योजनाओं के क्रियान्वन में सहभागी बनाना होगा। जिससे जनता का विश्वास प्रतिनिधि पर प्रगाढ़ होगा तथा सुशासन के विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

(8) महिला नेतृत्वकृत्रियों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था :– वर्तमान में मूल्यों के ह्रास के कारण राजनीति भी दूषित हो गई है। इस कारण महिलाएँ राजनीति में प्रवेश से कतराती है। क्योंकि उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय रहता है। साथ ही जिन महिलाओं ने राजनीति में नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया भी है उन्हें अपने अस्तित्व की सुरक्षा का भय सदैव ही ग्रसित किये रहता है। अतः महिला नेतृत्व क्षमता के विकास की दृष्टि से जरूरी है कि सरकार इनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करें।

(9) ई–शासन को बढ़ावा देना :– सुशासन के विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है कि ई–शासन का सपना साकार हो इसके लिए आवश्यक है कि सूचना तकनीक से बेहतर और कोई मार्ग नहीं होगा क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को स्थान मिल सकेगा। ऐसा तब सम्भव है जब शासन से सम्बन्धित जानकारी जो लोकहित में हो, इण्टरनेट पर उपलब्ध हो। इसके साथ

ही जनता में जानकारी माँगने एवं उसके प्रयोग करने का स्वभाव विकसित करना होगा, जिससे न केवल महिला प्रतिनिधि बल्कि पूरा समाज जागरूक होगा और ग्रामीण सुशासन के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

(10) सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाना :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनता के हाथ में ऐसे शस्त्र के समान है, जो लोकतांत्रिक शासन को जवाबदेह एवं पारदर्शी बनायेगा। सूचना के अधिकार की सफलता एवं इसे जन–जन तक पहुँचाने के लिए नीतिगत एवं व्यवस्थागत प्रयास आवश्यक है। ताकि ग्रामीण पंचायत के सामने उसके क्रियाविधि के लिए प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकें। अतः सूचना के अधिकार को प्रभावी एवं असरदार बनाने हेतु आवश्यक है कि सरकार में जनसहभागिता को स्थान प्राप्त हो और शासन तंत्र अपने कार्यों के प्रति पारदर्शी हो। जनता के जीवन एवं उनके विकास से जुड़ी सूचनाओं को हर संभव प्रयत्न कर प्रसारित किया जाये। सूचना प्रदान करने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाये तथा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए जिससे आमजन को सूचना प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों को खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये, जिससे अन्य अधिकारियों को सबक मिल सके। व साथ ही ग्रामीण सुशासन के विकास के उद्देश्य की पूर्ति सम्भव हो सके।

(11) महिला नेतृत्व हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक स्थापना :– समाज में स्वतन्त्रता, समानता एवं न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक स्तर पर ही, नहीं वरन् वास्तविक धरातल पर स्थापना द्वारा ही भी महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ाया जा सकता है। आज आवश्यकता है सोच, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य को बदलने की, पूर्व धारणाओं में परिवर्तन की तथा महिलाओं को नेतृत्वकृत्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों और उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार सामना करने की क्षमता पर विश्वास किये जाने की।

(12) प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाना :– ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों तथा नेताओं एवं पूर्व प्रभावी व्यक्तियों में संवेदनशीलता एक सहानुभति की मानसिकता उत्पन्न की जाये। क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होता है विशेषकर वित्त व निर्णयों के मामलों में, जिससे ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता पर प्रश्नचिह्न लगता है। विशेषकर वित्त व निर्णयों के मामलों में, जिससे ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता पर प्रश्नचिह्न लगता है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों से इन तथ्यों की पुष्टि भी होती है। अतः प्रशासनिक अधिकारियों को महिला जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील होते हुए सहयोगात्मक व्यवहार एवं समन्वय को प्रमुखता देनी चाहिए तथा ग्राम पंचायत सम्बन्धी शक्तियों तथा अधिकारों विशेष रूप से सूचना के अधिकार की जानकारी तथा जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जिससे महिलाएँ जागरूक होकर अपने पदनुरूप कार्यों को करने तथा सूचना के अधिकार के क्रियान्वन में पूर्णरूप से सहभागी एवं सक्षम हो पायें और उनकी स्थिति में भी सुधार हो सके।

(13) महिला नेतृत्व हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक स्थापना :– समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सैद्धांतिक एवं संवैधानिक स्तर पर ही नहीं वरन् वास्तविक धरातल पर स्थापना द्वारा भी महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ाया जा सकता है। आज आवश्यकता है सोच, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य को बदलने की, पूर्व धारणाओं में परिवर्तन की तथा महिला नेतृत्वकृत्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों और उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार सामना करने की क्षमता पर विश्वास किये जाने की।

(14) ग्रामीण सुशासन के विकास के कार्यक्रम जन आवश्यकताओं एवं मांग पर आधारित :– ग्रामीण सुशासन के विकास के कार्यक्रम एवं योजनाएँ जनता की माँग पर आधारित हो। ग्राम सभा द्वारा सुझाई गई योजना को ग्राम पंचायत निष्पादित करें। जनसहयोग का आश्वासन सुनिश्चित किया जाये। राशि प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास हेतु दी जाये। कार्यों के निष्पादन के लिए

स्थानीय स्तर पर ही सर्तकता समिति का गठन किया जाये। कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रमों के निष्पादन में पारदर्शिता हो। कुल प्रदत्त राशि व व्यय की गई राशि पंचों व जनसाधारण को उपलब्ध हो।

(15) महिला नेतृत्व एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच सहयोगमूलक सम्बन्धों की स्थापना :– महिला नेतृत्वकृत्रियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच सहयोगमूलक सम्बन्धों की स्थापना ग्रामीण सुशासन के विकास हेतु अत्यधिक आवश्यक है। राज्य सरकार ने स्वैच्छिक संस्थाओं में विश्वास रख उन्हें कार्य सौंपे होंगे। सहयोग मूलक सम्बन्ध केवल विचारधारा ही नहीं है, यह ग्रामीण सुशासन के विकास की गति को तीव्र करने के लिए एक सामाजिक गतिविधि है। स्वयंसेवी संस्थाओं को अपनी गतिविधियों में दक्षता ग्रामीण सुशासन के विकास की क्षमता के निर्माण के लिए कदम उठाना चाहिए।

(16) महिला नेतृत्वकृत्रियों की मानसिकता में परिवर्तन :– किसी भी विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए उस दिशा में यथेष्ट प्रयास आवश्यक है, लेकिन यथेष्ट प्रयास के लिए मस्तिष्क में स्पष्ट कार्य योजना के साथ पूर्ण आत्मविश्वास प्राथमिक आवश्यकता है। यदि मन में कोई विचार या विश्वास नहीं हो कोई भी कार्य सम्भव नहीं है, दूसरों से हमें सहयोग या मार्गदर्शन ही मिल सकता है, लेकिन कार्य साधना तो हमें स्वयं ही करनी होंगी। महिला नेतृत्वकृत्रियों के लिए भी यही बात लागू होती है, जब तक महिलाएँ सरकारी–गैर सरकारी प्रयासों में सहभागी एवं सहयोगी नहीं बनती है, महिला नेतृत्व सम्भव नहीं है। महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण सुशासन के विकास के लिए अति आवश्यक है कि महिलाएँ अपनी सोच को बदले, पराश्रितता और लाचारी के भाव का परित्याग करें और स्वयं में आत्मविश्वास का संचार करें।

(17) भ्रष्टाचार पर रोकथाम :– ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हैं। ग्रामीण सुशासन के विकास हेतु जो भी योजनाएँ चलाई जाती है तथा उनके लिए जो राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की

जाती है वह भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के कारण ग्रामीण सुशासन के विकास में उपयोग नहीं हो पाता है, महिला सरपंचों का भी मानना है कि ग्रामीण सुशासन के विकास हेतु धन का पूर्ण अंश उन्हें नहीं मिल पाता है। क्योंकि बिचौलियों द्वारा धन का हेर फेर कर दिया जाता है। जिससे ग्राम पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होते है। क्योंकि महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होती इसलिए उसे रोकने में स्वयं को असमर्थ पाती है। अतः भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए तथा प्रशासन में मौजूद ईमानदार लोगों द्वारा पारदर्शिता अभियान की शुरूआत करनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगायी जा सके एवं पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता एवं खुलापन आये।

(18) नवीन तकनीकी का ज्ञान तथा सूचनाओं तक सरलतापूर्वक पहुँच :– महिला सरपंचों को नवीन तकनीक का ज्ञान होना अतिआवश्यक है। क्योंकि सूचना तकनीक के क्षेत्र में आयी क्रान्ति ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। निःसन्देह सूचना प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र की जीवन शैली में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को ई–शासन अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक शासन के रूप में मनाया गया है। ई–शासन की बुनियादी अवधारणा का अर्थ है कि शासन सम्बन्धी कामकाज में सूचना तकनीक का इस्तेमाल होना जिससे जवाबदेह, पारदर्शी, सरल तथा जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली शासन व्यवस्था का निर्माण हो सके। केन्द्र सरकार के साथ राज्यों की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं एवं प्रत्येक राज्य के जिलों को ई–शासन से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर जिला भी शामिल है। यहाँ ई–शासन के तहत ई जिला योजना के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र, शिकायत एवं सूचना अधिकार, जन वितरण प्रणाली, पेन्शन विनिमय, खतौनी राजस्ववाद से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिसे एक सार्थक एवं सराहनीय प्रयास माना जा सकता है। इसलिए महिला सरपंचों को कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है। अतः आवश्यक है कि इन्हें

नवीन सूचना तंत्र के सम्बन्ध में जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिससे इनकी शासन सम्बन्धी सूचनाओं तक पहुँच को सरल बनाया जा सके, चूँकि सूचना तकनीकी ने विश्व को एक गाँव में परिवर्तित कर दिया है। जिससे कुछ ही क्षणों देश विदेश की जानकारियों का आदान प्रदान सम्भव हो गया है। अतः महिला नेतृत्वकृत्रियों को सुशासन के विकास हेतु इन तकनीकों का ज्ञान आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। तभी वो अपनी पंचायत का विकास कर पायेगी। ई–शासन एवं सामान्य शासन एवं प्रशासन सम्बन्धी कामकाज में सूचना तकनीक के अधिकारिक इस्तेमाल से जवाबदेही, संवदेनशील एवं पारदर्शी शासन हासिल किया जा सकता है। सूचना तकनीकी का प्रयोग जैसे कार्यालय में कम्प्यूटरों का प्रयोग, स्थानीय नेटवर्क कायम करना, विभागों की वेबसाइट्स को जारी करने से नागरिकों एवं सरकार के मध्य सम्पर्क के सुविधाजनक मार्ग विकसित हुए हैं।

अतः ई–शासन इस दिशा में महत्त्वपूर्ण, व्यवहारिक एवं सराहनीय प्रयास माना जा सकता है जिससे सूचना के अधिकार द्वारा सुशासन लाने में सहायता मिलेगी।

(19) महिला विकास एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा :– केवल आरक्षण ही महिला सशक्तीकरण को सम्भव नहीं बना सकता। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता प्रभावी चुनाव व्यवस्था, संवेदनशील एवं उत्तरदायी जनप्रतिनिधित्व तथा सूचना का अधिकार आदि मिलकर ही महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि पंचायतों का सशक्तीकरण हो, क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति निर्माण तथा क्रियान्वन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अतः महिला नेतृत्वकृत्रियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कर्त्तव्यों के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह में भागीदार बन सके। जिससे महिलाओं के साथ–साथ समाज भी सशक्त हो सके।

(20) महिला नेतृत्व के माध्यम से उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना :– महिला नेतृत्वकृत्रियों के द्वारा अस्पताल के देख रेख के साथ–साथ उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवानी चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि ग्रामीण अस्पतालों में छोटी–छोटी बीमारियों के इलाज ही सुविधा होती है। बड़ी बीमारी होने पर ग्रामीण जनता को शहरों की ओर जाना पड़ता है। कई बार समय व धन के अभाव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इन असुविधाओं से मुक्ति हेतु चिकित्सा सुविधा की और ध्यान देना आवश्यक है।

(21) महिला नेतृत्व के माध्यम से उन्नत पेयजल व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना :– जल ही जीवन है। शुद्ध जल के अभाव से संक्रामक रोग टाईफाइड, हैजा, मलेरिया इत्यादि रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीण जनता ज्यादातर कुँओं के पानी का उपयोग करती हैं। उनके पास शुद्ध पेयजल का अभाव होता है। महिला नेतृत्व के द्वारा नवीन तकनीक के माध्यम से हैडपम्प, नल, पम्पसैट, ट्यूबवैल बोरिंग इत्यादि को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण जनता को बरसात के पानी को एकत्र कर उन्हें कैसे पीने योग्य बनाया जा सकता है इसका भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(22) महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तिः– ग्रामीण सुशासन के विकास हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे भी उष्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने वाली संस्थाओं की पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। चूँकि महिला नेतृत्व अशिक्षा के द्वेष से गुजर रही है अतः शिक्षा और उच्च शिक्षा का महत्त्व समझती है।

(23) प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करना :– स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक हस्तक्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, खासकर वित्तीय व निर्णय के मामले में पंचों द्वारा

फैसले लेने से पूर्व उच्च समिति या परिषदों से सुझाव लेना पड़ता है, जिससे कि ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भरता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

(24) कृषि क्षेत्र में अधिक सब्सिडी प्रदान करना :– पाश्चात्य देशों में किसानों को बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसका परिणाम भारतीय किसानों को भोगना पड़ रहा है। भारतीय किसानों को महिला नेतृत्व के द्वारा कृषि यंत्रों, बीजों इत्यादि में अधिक से अधिक सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए ताकि किसान वर्ग कृषि को उन्नत व्यवसाय का दर्जा दे सके। साथ ही कृषि कार्य में संलग्न हो सके।

(25) लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन :– ग्रामीण सुशासन के विकास की दृष्टि से महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ–साथ नवीन उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के बढ़ोत्तरी का सीधा प्रभाव ग्रामीण जीवन पर पड़ेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तो यह होगा कि ग्रामीण जनता के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जो भी ग्रामीण जनता शहरो ंकी और पलायन कर रही है, जिससे शहरों पर भार बढ़ रहा है वह भी कम हो जाएगा।

(26) बुनियादी सुविधा में वृद्धि :– ग्रामीण सुशासन के विकास दृष्टि से यातायात के साधनों की उपलब्धता, सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, बिजली की सुविधा, संचार के साधनों में वृद्धि, पुलिस थानों की संस्था में बढ़ोत्तरी, बैंकों का निर्माण, डाक सुविधा आदि की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समग्र विकास से ही महिला नेतृत्व एवं सुशासन के विकास की भावना जुड़ी हुई है।

(27) अवसरों की समान उपलब्धता :– अवसरों की उपलब्धता महिला नेतृत्व के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अवसर की अनुपलब्धता के कारण ही महिलाएँ समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई है। अतः महिला नेतृत्व के लिए महिलाओं को शिक्षा, पोषण, चिकित्सा, रोजगार, राजनीति आदि प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि यदि एक भी व्यक्ति विकास की कड़ी से नहीं

जुड़ता है तो विकास अपूर्ण है। अतः पूर्ण विकास एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि के लिए महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए।

(28) महिला नेतृत्वकृत्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करना :– सरकार प्रशिक्षण के महत्त्व को ध्यान में रखकर महिला नेतृत्वकृत्रियों के प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करे। प्रशिक्षण के अन्तर्गत रोजमर्रा की समस्याओं को स्थान देना चाहिए, जिससे महिला नेतृत्वकृत्रियों की उत्सुकता बढ़ेगी। प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके अधिकारों कर्त्तव्यों तथा पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी समुचित रूप से दी जानी चाहिए। हर माह के अन्तराल में महिला नेतृत्वकृत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थिति के लिए महिला नेतृत्वकृत्रियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशिक्षण के पश्चात् उनका आंकलन करना आवश्यक है।

(29) संचार माध्यमों को बढ़ावा :– सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों विशेष रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करवाने हेतु रेडियों, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम बनाए जाये तो महिलाओं को प्रशिक्षित कर सकें। इसके अलावा सांस्कृतिक आयोजन और धार्मिक समारोहों के द्वारा भी महिलाओं में जागरूकता लाई जा सकती है। अतः नाटक, नुक्कड़, कठपुतली कार्यक्रमों द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाए।

(30) गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ावा :– गैर सरकारी संगठन (NGO) महिला पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वन, अधिकारों की जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। प्रशिक्षणकर्ता के रूप में गैर सरकारी संगठन महिला पंचायती राज संस्थाओं की कमियों की पहचान कर सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं, जिससे इन कमियों को दूर करने में सहायता मिले एवं महिला प्रतिनिधि अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक होकर अपना विकास एवं पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें। गैर सरकारी संगठन

पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ तथा व्यवस्थित बनाने में अपनी भागीदारिता से से विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं महिला सशक्तीकरण को ऊर्जा दे सकते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सुझावों का सैद्धान्तिक रूप में समर्थन करने के साथ व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने पर ही महिला नेतृत्वकृतियाँ सरपंच पद पर सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर पाने में सक्षम हो सकेंगी। इससे महिलाओं में स्वविवेक, स्वसम्मान, स्वावलम्बन के साथ–साथ सबलीकरण एवं सशक्तीकरण की भावना का भी विकास होगा, जिससे महिला प्रतिनिधी के साथ–साथ परिवार, गाँव, समाज, राष्ट्र, राज्य एवं विश्व को सशक्त करने में भी गति प्राप्त होगी तथा सूचना के अधिकार के क्रियान्वन से पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता से सम्पूर्ण समाज का विकास होगा जो सुशासन को असल रूप में स्थापित करने हेतु अहम् भूमिका निभायेगा।

समग्र मूल्यांकन

राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के तहत् बने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें महिला आरक्षण के प्रावधान के कारण पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर महिला नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही महिलाओं में शिक्षा के प्रति सम्मान, आर्थिक, स्वावलम्बन, राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता का स्तर, निर्णय निर्माण, क्षमता, संज्ञानात्मक स्तर, राजनीतिक अभिमुखीकरण तथा चेतना की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। राजस्थान विधेयक 2008 के द्वारा प्राप्त पचास प्रतिशत आरक्षण से राजनीतिक प्रक्रिया में मिले महिला नेतृत्व से महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे अन्धविश्वास, रुढ़िवादिता, पुरुष वर्चस्व को दूर करके महिला के अधिकारों, दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर होना चाहती है।

पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त पचास प्रतिशत आरक्षण के उपरान्त महिला नेतृत्वकृत्रियों के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। राजस्थान (अजमेर) जिले में हुये पाँच पंचायती राज चुनावों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप में नवीन 2015 के चुनावों में महिलाएँ उम्मीदवार के रूप में अधिक आयी है। महिला नेतृत्वकृत्रियों की सामान्य जानकारी से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अजमेर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ केवल आरक्षित पदों पर आयी है परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के नेतृत्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वे न केवल आरक्षित सीट पर आयी है वरन् सामान्य सीट पर विजयी होकर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम द्वारा प्राप्त महिला व्यवहार में अधिक भेद नहीं किया जाता है। राजनीति में सक्रिय परिवार अपनी बेटियों और बहुओं को शिक्षित करने लगे हैं, जिससे वे आरक्षित महिला पद पर आसीन हो सकें। पंचायतों का नेतृत्व जो पहले एक या दो परिवारों तक सीमित था आज वह जनजाति एवं सम्पूर्ण ग्राम समुदाय में विस्तृत हो गया हैं। महिला नेतृत्व शिक्षा के कारकों से भी प्रभावित हो रहा है। शिक्षित नहीं होने के कारण महिला नेतृत्वकृत्रियाँ अपना कार्य स्वयं पूर्ण नहीं कर पाती है, यही कारण है कि वे अपने कार्यों के लिए अपने परिवारजन या सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहती हैं। इस अन्तःनिर्भरता के कारण महिलाएँ अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रही है। अतः अध्ययन में महिला नेतृत्वकृत्रियों में शिक्षा के प्रति सजगता देखने में आयी। राजस्थान चुनाव 2015 में युवा वर्ग के क्रियाशील होने से ग्रामीण नेतृत्व में आयु का महत्त्व समाप्त होता जा रहा है। वर्तमान चुनाव इस बात के प्रमाण है जिनमें महिला सरपंच वे महिलाएँ भी हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। आज नेतृत्व में धन का महत्त्व भी समाप्त होता जा रहा है। नेतृत्व का आधार धन और भू स्वामित्व ना होकर प्रजातांत्रिक हो गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर महिला नेतृत्वकृत्री मध्यम या निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखती है।

ग्रामीण महिला के अधिकार एवं कर्त्तव्यों में भी परिवर्तन हुए है। आज महिला नेतृत्वकृत्रियों को असीमित कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि बैठकों में नियमित भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना, सार्वजनिक कार्य के लिए जनता से सम्पर्क करना प्रशिक्षण में भाग लेना, लोककल्याण एवं ग्रामीण सुशासन के विकास के कार्य करना। पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना साथ ही पंचायत द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का निर्वहन करना आदि। पारिवारिक दायित्व एवं पंचायत के दायित्व दोनों के कारण महिला नेतृत्वकृत्रियों की दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि कभी–कभी दोहरी भूमिका के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वे दोहरी भूमिका से संतुष्ट है।

अध्ययन में ये भी तथ्य सामने आया कि पुरुष वर्चस्व अभी भी कायम है लेकिन जल्द ही महिला पुरुष समानता का स्तर देखने को मिलेगा। महिला नेतृत्वकृत्री इसी समानता को प्राप्त करने के प्रयास में लगी हुई है।

शोध में महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण सुशासन के विकास को रेखांकित करने हेतु संकेताकों या चरों के रूप में क्रमशः अभिलिखित जनसंख्या, कृषि निर्माण कार्य, घरेलू तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, बैंकिंग, रोजगार के साधनों की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं सफाई, विद्युतीकरण, परिवार कल्याण, सड़क, पुल निर्माण एवं नालियों की स्थिति, यातायात एवं संचार की सुविधा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, ग्रामीण आवास, शिक्षा का प्रसार, सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रगति का स्तर एवं कल्याणकारी गतिविधियाँ, ग्रामीण जनता में चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, ग्रामीण नेतृत्व एवं महिला नेतृत्व को निश्चित किये गये अध्ययन से स्पष्ट हाोता है कि महिला नेतृत्वकृत्रियाँ इन चरों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सुशासन के विकास हेतु प्रयासरत है। पंचायती राज संस्थानों में भागीदार महिलाएँ न केवल नीति–निर्माण वरन् नीतियों के क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। महिला नेतृत्वकृत्रियाँ ग्रामीण सुशासन के विकास हेतु संचालित योजनाओं में महिलाओं,

बच्चे, वृद्ध, विकलांग, पिछड़े वर्ग सभी को प्राथमिकता देती है। महिलाएँ न केवल व्यक्तिगत स्तर पर वरन् सार्वजनिक आधार पर महिलाओं की समस्याओं को समझने लगी है तथा उनके प्रति जागरूक हुई है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि महिला नेतृत्वकृत्री महिलाओं की समस्याओं के प्रति ज्यादा सजग है। साथ ही उसका निदान भावात्मक रूप से जुड़कर करती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आज वे न केवल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद वरन् विधायक एवं सांसद के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं में बढ़ते महिला नेतृत्व से महिला सशक्त हुई है, परन्तु उन्हें अपनी भूमिका निर्वाह करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक रुढ़ियों, पर्दा प्रथा, जाति व्यवस्था, सामाजिक मूल्य एवं आडम्बर चुनौतियों के रूप में रहे हैं। इनका मूल कारक महिला शिक्षा का नगण्य होना है। यही कारण है कि पंचायत राज से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी इन पर अपना वर्चस्व बनाये रखते है। प्रशासनिक अधिकारियों के भय से नेतृत्व प्रक्रिया में शामिल महिलाएँ अनुभवी राजनीतिज्ञों या अपने परिवार के पुरुषों पर निर्भर रहती हैं।

उपरोक्त समस्याओं को विश्लेषित करने पर स्पष्ट होता है कि राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में शामिल महिला नेतृत्वकृत्रियों को यद्यपि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परन्तु धीरे–धीरे उनमें जागरूकता आ रही है, आवश्यकता है उन्हें सबलता प्रदान करने की। इन सभी के साथ महिला नेतृत्वकृत्रियों को स्वयं जागृत एवं जागरूक होना होगा, जिससे इनमें आत्मविश्वास एवं हौंसला बना रहे, इसके लिए कारगर उपाय महिलाओं के द्वारा स्वयं को शिक्षित किया जाना हो सकता है।